

शिला पंचायत मंदसौर/राजगढ़ (म.प्र.)

विषय-

स्थानान्तरण श्रीमती दीप्ती तंवर, शिक्षाकर्मियों वर्ग-3 प्राथमिक विद्यालय आपसी केन्द्र मंडुवा इलाहाबाद विकास खण्ड गोंड विन्हा मंदसौर से राजगढ़।

आदेशानुसार सेवा है कि विषयान्वर्तक प्रमाण में दीप्ती तंवर, शिक्षाकर्मियों वर्ग-3, प्रादि, वामनी केन्द्र पहुँचा इलाहाबाद विकास खण्ड गोंड विन्हा मंदसौर में पदस्थ के विशेष प्रस्ताव के रूप में अपवादस्वरूप श्रीमती दीप्ती तंवर शिक्षाकर्मियों वर्ग-3 का स्थानान्तरण राजगढ़ जिले में किया जाता है। इनकी पदस्थानता मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़ द्वारा की जाएगी।

हस्ता/-

(डॉ. आरुणा गुप्ता)

अवर सचिव

ग.प्र. शानन, स्कूल शिक्षा विभाग

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंडालय, वल्लभ प्रबन्ध, भीपाल

भीपाल, दिनांक 2 जनवरी, 1998

क. ए.क. 20-95-बार्डर्स-4-2.- मध्यप्रदेश पंचायत एवं अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 स. 1994) की धारा 53 की उपधारा (2), धारा 70 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शर्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम, जो कि धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप में पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, बजाता है, अधीन:-

### नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा श्राव्य- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत शिक्षा कर्मियों (पहली तथा सेवा की शर्त) नियम, 1997 है।

(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राज्यपत्र" में उनके अधिन प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अन्वेषित न हो, -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 स. 1994);

(ख) शिक्षा कर्मियों के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची एक के कालम (5) में वर्णित प्राधिकारी;

(ग) "समिति" से अभिप्रेत है कमरा-अनुसूची दो तथा चार में दिये गये अनुसार शिक्षा कर्मियों को, नियुक्ति या पदोन्नति के लिये गठित की गई चयन समिति;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) "पंचायत" से अभिप्रेत है अधिनियम के अर्थान गठित की गई यथानियमित विन्हा पंचायत या अवर पंचायत;

(च) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "शिक्षा कर्मियों" से अभिप्रेत है यथानियमित विन्हा पंचायत या अवर पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों में पढ़ाने के लिये नियुक्त किया गया, और

(झ) "स्वाधीन समिति" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित की गई

यथानियमित विन्हा या अवर पंचायत की शिक्षा समिति.

3. हस्ता तथा लागू होना- ये नियम अवर पंचायत या विन्हा पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों के लिये नियुक्त किये गये शिक्षा कर्मियों को लागू होंगे.

4. वर्गीकरण तथा वेतनमान- शिक्षा कर्मियों का वर्गीकरण और उनके वेतनमान अनुसूची-एक में दिये गये अनुसार होंगे. सरकार या सरकार द्वारा सम्पूर्ण रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना पदों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी.

5. चयन तथा पहली की पद्धति- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् शिक्षा कर्मियों के सर्वा की पहली नियमित पद्धति से की जाएगी, अर्थात्-

(क) सीधी पहली से चयन होगा.

(ख) अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार पदोन्नति द्वारा.

(2) सीधी पहली तथा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता, अनुसूची-तीन के कालम (4) तथा (5) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगी.

(3) सीधी पहली तथा पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगी.

(4) शिक्षा कर्मियों की सीधी पहली के पद मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 स. 1994) के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित आरक्षणों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे.

(5) राज्य सरकार के निर्धारों के अनुसार महिलाओं, निश्चल व्यक्ति, पूर्वपूर्व सैनिकों तथा ऐसे अन्य वर्गों से संबंधित आरक्षणों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे :-

1. (परन्तु शिक्षाकर्मियों की पहली के लिये विज्ञापन सूचना की प्रति जिला लेखनार कार्यालय, जिला सैनिक कारनाम कोड और महाप्रदेशक, पुरवस्त को पेजने के पश्चात् पूर्वपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों पर आरक्षणों के उपलब्ध नहीं होने पर, उक्त क्रिया अन्य प्रवर्गों के लिये आरक्षणों द्वारा भरी जाएगी।)

(6) शिक्षा कर्मियों के पद-

(एक) अधिक संख्या में क्षेत्र में प्रवर्तित दैनिक सामान्य पदों में से कम से कम कितने एक सामान्य पद में विज्ञापित किये जाएंगे;

(दो) स्थानीय लेखनार कार्यालय में अधिवृत्त किये जाएंगे; और

(तीन) यथानियमित संबंधित अवर पंचायत या जिला पंचायत के सूचना फलक पर प्रदर्शित किये जाएंगे.

(7) प्राथम अनुमोदन की खानगीन करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा सामान्य वर्गों से संबंधित आरक्षणों की प्रवर्तित खानगीन सूची, पद के लिये विनिर्दिष्ट की गई अर्हता परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. प्रत्येक प्रदर्श में विनिर्देशों की संख्या के आधार पर प्रत्येक प्रदर्श में भरी जाने वाली विनिर्देशों की संख्या से निम्नलिखित संख्या में योग्यता सूची के अनुसार परीक्षा या/तथा सामान्य प्रकार के लिये बुलाया जाएगा. ऐसे आरक्षणों के, जिनमें कम से कम एक शिक्षा सत्र जो 8 मास से कम हो नहीं होगा) अवर पंचायत या जिला पंचायत की खानगी में दर्ज किया हो. शिक्षाकार या परीक्षा के लिये बुलाया जाएगा :

1. अधिनियम क्र. ए.क. 20-95-बार्डर्स-4-2, दिनांक 7 जुलाई, 99 द्वारा अंतःस्थापित/प्रतिस्थापित।

1. प्रादुर्भावित कर्मों के अन्तर्गत को, जिसके सामान्य प्रवर्ग के अन्वयियों से अधिक या बराबर अंक हो, साक्षात्कार के लिये बुलाया जाएगा।

(8) चयन समिति यथासंभवतः जिला पंचायत या उपनगर पंचायत द्वारा अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किये गये, अनुसूचित सरदारों से गठित की जाएगी। सामान्यतः चयन तथा नियुक्ति का कार्य गोप्यवकाश के दौरान शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व किया जाएगा।

(9) एक पर समीक्षित साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अन्वयियों का आकलन क्षेत्रीय तथा निम्नलिखित सीटों में अंक देना —

(क) विहित अर्हाता परीक्षा के लिए नवीभूत (रिटर्न) रहे समय अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट की गई अर्हाता परीक्षा में अभिप्राय अर्कों के लिए 70 प्रतिशत अंक, प्वालसाधिक पाठ्यक्रमों के अन्वयियों की बरीयता (विटेज) सैद्धांतिक, लिखित परीक्षा में अभिप्राय अर्कों के आधार पर ही दी जाएगी।

(ख) सर्वोच्चतम जम्मा रकमायत 24 जिला पंचायत के स्कूलों में शिक्षण के अनुभव के लिए 10 प्रतिशत अंक (एक वर्ष दो वर्ष तथा तीन वर्ष और उससे अधिक के अनुभव के लिए क्रमशः 3 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अंक जिसमें न्यूनतम और मास शिक्षण गारंटी योजना केन्द्रों, डी.पी.ई.पी. वैकल्पिक स्कूलों और औपचारिकीकरण शिक्षण केन्द्रों में शिक्षण का अनुभव भी सम्मिलित है।) राज्य सरकार द्वारा यात-अतिरिक्त का समय दिया जाएगा। भूमिगत, स्कूलों में शिक्षण के अनुभव के लिए इसी प्रकार विधायकता तथा मूल्यवर्क पर सामान्य प्रशासन समिति का विवरित अंतिम होगा।

(ग) मौखिक साक्षात्कार के लिये 17 प्रतिशत अंक जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

(एक) पञ्चवीय भाषा में बातचीत करने की दक्षता।

(दो) स्थानीय परिवेश की जानकारी।

(तीन) सामान्य ज्ञान।

(चार) प्रशिक्षण तथा शिक्षण के प्रति आसक्ति।

(पाँच) कोई अन्य परीक्षा जिससे चयन समिति उचित संतुष्ट हो।

(छ) सी.एच.सी.डी.आई/डी.एच. प्रमाण-पत्र के लिए 8 प्रतिशत अंक, स्कूल और गाँव/स/एन.सी.सी. प्रमाण-पत्रों के लिये 2.5 प्रतिशत अंक और खेल के लिए (अर्थात् जिला या उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए) 2.5 प्रतिशत अंक।

(4) अंतिम चयन में, अन्य बातें समान होने की दशा में प्राथमिकता उन अन्वयियों को दी जाएगी, जिनके अन्तर्गत पंचायत या जिला पंचायत के विद्यालयों में शिक्षण का अनुभव है।

1. (दो) प्रत्येक प्रवर्ग के लिए चयन सूची, योजना के क्रम में उपरोक्त आकलन के आधार पर हैबार्त की जाएगी और उसके अंतर्गत 5 नाम या 20 प्रतिशत नाम, जिनमें से जो भी अधिक हो, प्रतीक्षा सूची में होंगे जो कि नौ मास के लिए विधिगम्य होंगे। नियुक्ति के लिए एक परी की संख्या के बराबर एक एकीयुक्त चयन सूची दस मास में हैबार्त की जाएगी कि अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अन्वयियों का नौ शिक्षणों की संख्या तक होंगे। यदि सामान्य प्रवर्गों में सर्वप्रथम सामान्य प्रवर्ग (अनाधिकृत प्रवर्ग) का कोई अन्वय्यी है तो उसको नियुक्ति की अनाधिकृत प्रवर्ग के पर के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। इसके पश्चात् आरक्षित प्रवर्गों के अन्वयियों के नाम ऐसे प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग की कुल शिक्षणों की संख्या की समतुल्य चयन सूची की अतिरिक्त अन्वयियों के 5 नाम या 20 प्रतिशत नाम, जिनमें से जो दो अधिक हो, उक्त शिक्षणों के आधार पर प्रतीक्षा सूची में रखे जाएंगे।

1. अध्यापकता आ. एच. 20-25-अर्थात्-2, दिनांक 7 जुलाई 99 द्वारा अतिरिक्त/प्रतिस्थापित।

(10) चयन सूची से नियुक्ति, मध्यमदेश सेवा (अनुसूचित अधिकारियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित किये गये तथा यथास्थिति, जिला पंचायत तथा उपनगर पंचायत द्वारा उचित गये रीटर्न के अनुसार की जाएगी।

6. अनुकम्पा नियुक्ति - नियम 5 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी राज्य : रूपा शिक्षा कर्मियों के ऐसी संख्या में अतिरिक्त पर मंजूर कर सकेंगी जितने कि आवश्यक हो कि पर पंचायत, कलेक्टर की नियमितियों पर इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं नियमों या निर्देशों के अधीन अनुकम्पा के आधारों पर नियोजन के लिये पात्र व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेंगी।

7- पर्वतीय शिक्षा कर्मियों के पर पर सीपी भावी से चयनित प्रत्येक व्यक्तित्व प्राप्त में स्कूल जिनसे कि शिक्षा कर्मियों पूर्ण शिक्षा कालावधि तक उसी स्कूल में कार्य कर सकें, प्रत्येक वर्ष है और में नियुक्ति प्राधिकृत द्वारा शिक्षा कर्मों के कार्य का आकलन किया जाएगा, तीन वर्ष के पश्चात् शिक्षाकर्मियों को उनके कार्य आधार तथा कार्यप्रदर्शन के आधार पर पंचायत के नियुक्ति वेतनाग में नियुक्त किया जा सकेगा यदि शिक्षा कर्मों का कार्य सम्पादन पर नहीं पाया जाता है तो उसे एक से दो सालावधि के अंत में उसके कार्य का आकलन किया जाएगा यदि सम्पादन पर नहीं पाया जाये तो उसके सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

प्रारंभ किये जायेंगे। प्रा. द्वा. में पर्वतीय कालावधि पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। शिक्षा कर्मों को पर्वतीय क्षेत्रों की कालावधि में वेतनमान के न्यूनतम के बराबर नियत वेतन तथा उस पर 2 फीसद महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।

8. एलेन्टि - (1) अनुसूचित-वार में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार विभागीय परीक्षाओं अधिनि के पाठ्य से परीक्षा पर नियुक्ति की जाएगी।

(2) मध्यमदेश शिक्षित सेवा (परीक्षा) में आरक्षण तथा विद्यालय के क्षेत्र के विस्तार की समिति नियम, 1997 के उपबंध तथा आंतरिक परिवर्तन सहित शिक्षा कर्मियों की परीक्षाओं के लिये द्वा. सी. 9. अनुशासन व नियंत्रण - शिक्षा कर्मों यथास्थिति विगत, पंचायत या उपनगर पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेंगे। द्वा. यास्त के लिये यथास्थिति जिला पंचायत या उपनगर पंचायत की सामान्य प्रशासन स्मार्थी समिति तथा लघु शासित के लिये पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्रमशः अनुशासकीय अधिकारी होंगे।

10. सेवा समायोजन - ऐसे शिक्षा कर्मों की जो स्थायी सेवा में न हो, हैबार्त या तो शिक्षा कर्मों द्वारा नियुक्ति अधिकारों की या नियुक्ति अधिकारों का शिक्षा कर्मों को विहित में एक मास के अन्तर्गत देकर या एक मास का वेतन तथा पुराना करने पर जितनी भी समय सम्भाव्य की गयी के दक्षिणस्थान होंगी।

11. सामान्य सेवा शर्तें - शिक्षा कर्मियों की उमर वर्गीकृत शर्तों से निम्न : द्वा. शर्त यथास्थिति, उपनगर पंचायत अथवा जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों के समान होंगे। 12. अवकाश - द्वा. नियमों के अधीन पाठित आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनि यम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

13. निवृत्ति - द्वा. नियमों के निवृत्ति के संबंध में यदि कोई द्वा. अनुसूचित क्षेत्र में के पर सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विवरित अन्तिम होगा।

14. निराम और कर्मचारी - द्वा. नियमों के आधार होने के अन्वयित्व पूर्ण क्षमता सम्पन्न नियम, इन नियमों के अन्तर्गत अपने बावरी विषयों के संबंध में रूपा द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे। प्रादुर्भावित प्रकार निर्मित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या को गैर कर्मचारी इस नियमों के तत्त्वधानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या को गैर कर्मचारी समझी जाएगी।

## अनुसूची एक

### शैक्षणिक नियम 2 (ख)

अनु क्र	शिक्षा कर्मी वर्ग	पदों की संख्या	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वर्ग-1	.....	1200-40-2000	जिला पंचायत
2.	वर्ग-2	.....	1000-30-1680	जिला पंचायत
3.	वर्ग-3	.....	800-20-1200	जनपद पंचायत

\*टीप- (1) प्रत्येक शाला के लिये शिक्षा कर्मियों वही विभिन्न श्रेणियों के लिये पदों की संख्या का निर्धारण यथास्थिति संबंधित उप संचालक शिक्षा या सहायक आयुक्त/आदिवासी विकास द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।  
(2) सरकार सम्बन्धी प्रमाणित प्रत्याग प्राप्त होने पर समय-समय पर प्रत्येक पंचायत के लिये शिक्षा कर्मियों के पदों की संख्या अनुमोदित करेगी।

### अनुसूची दो

### शैक्षणिक नियम 2 (ग) तथा नियम 5

अनु क्र	शिक्षा कर्मी वर्ग	अधिकतम आयु	शैक्षणिक योग्यता	पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वर्ग-1	21	संबन्धित विषय में डिग्री या श्रेणी में तालकमील उपाधि या समकक्ष	.....

- सम्बन्धित विषय में डिग्री या श्रेणी में तालकमील उपाधि या समकक्ष
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
- प्रमाणित/विशेष रूप से तालक शिक्षा या सहायक आयुक्त/आदिवासी विकास (सहायक-सचिव)
- सामान्य प्रशासन एग्रेसिबिटी द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विषय विस्तार के लिये से एक महिला हो, तथा
- सामान्य प्रशासन सचिवी के समस्त सदस्य जिनमें से एक अनुमोदित/अनुमोदित जनवर्ग या अन्य विच्छेदों वर्ग का हो, यदि स्थायी समिति से अनुमोदित/अनुमोदित जनवर्ग या अन्य विच्छेदों वर्ग के सदस्य उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसे वर्गों सदस्य सामान्य तथा वे नामनिर्दिष्ट किये जा सकेंगे।

—वर्द्धन—

2	वर्ग-2	21	संबन्धित विषय में डिग्री या श्रेणी में तालकमील उपाधि	.....
3	वर्ग-3	18	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पर परीक्षा करीब	.....

- सामान्य प्रशासन सचिवी, जनपद पंचायत
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- विकास एवं शिक्षा अधिकारी (सहायक-सचिव)

1. अधिसूचना क्र. एफ 20-95-बार्ड-ए-2, दिनांक 13-4-98 द्वारा प्रतिस्थापित।  
2. अधिसूचना क्र. एफ 20-95-बार्ड-ए-2, दिनांक 7 जुलाई 99 द्वारा प्रतिस्थापित।

## शिक्षा कर्मी संहिता

### शैक्षणिक नियम 5 (2)

अनु क्र	शिक्षा कर्मी वर्ग	पदों की संख्या	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वर्ग-1	.....	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2.	वर्ग-2	.....	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
3.	वर्ग-3	.....	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत

\*टीप- (1) शालाओं में शिक्षा कर्मियों के विभिन्न वर्गों के सीधी भतरी तथा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का आकलन तथा प्रमाणिकरण यथास्थिति उप संचालक शिक्षा या सहायक आयुक्त/आदिवासी विकास द्वारा किया जायेगा।  
(2) इन नियमों के प्रांच होने से प्रथम सात वर्षों तक वर्ग-1, 2 तथा 3 के शिक्षा कर्मियों के सभी पद सीधी भतरी से भरे जायेंगे, इसके पश्चात् उच्च अनुसूची के अनुसार पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।  
(3) इन नियमों के प्रांच होने से प्रथम सात वर्षों तक वर्ग-1, 2 तथा 3 के शिक्षा कर्मियों के सभी पद सीधी भतरी से भरे जायेंगे, इसके पश्चात् उच्च अनुसूची के अनुसार पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

### अनुसूची तीन

### शैक्षणिक नियम 5 (2)

अनु क्र	शिक्षा कर्मी वर्ग	पदों की संख्या	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वर्ग-1	.....	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2.	वर्ग-2	.....	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
3.	वर्ग-3	.....	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत

\*टीप- (1) शालाओं में शिक्षा कर्मियों के विभिन्न वर्गों के सीधी भतरी तथा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का आकलन तथा प्रमाणिकरण यथास्थिति उप संचालक शिक्षा या सहायक आयुक्त/आदिवासी विकास द्वारा किया जायेगा।  
(2) इन नियमों के प्रांच होने से प्रथम सात वर्षों तक वर्ग-1, 2 तथा 3 के शिक्षा कर्मियों के सभी पद सीधी भतरी से भरे जायेंगे, इसके पश्चात् उच्च अनुसूची के अनुसार पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।  
(3) इन नियमों के प्रांच होने से प्रथम सात वर्षों तक वर्ग-1, 2 तथा 3 के शिक्षा कर्मियों के सभी पद सीधी भतरी से भरे जायेंगे, इसके पश्चात् उच्च अनुसूची के अनुसार पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

1. अधिसूचना क्र. एफ 20-95-बार्ड-ए-2, दिनांक 7-7-999 द्वारा प्रतिस्थापित।

### अनुपूर्वी चार

विशेष नियम 5 (1) (ख) तथा नियम 8]

अनुक्र	पदनाम जिससे पद निगा पर पदोन्नति के लिये अर्हता पर पदोन्नति की जाय है	पदोन्नति के लिये अर्हता	पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1. शिक्षा कर्मी वर्ग-2	शिक्षा कर्मी वर्ग-1	सहायक शिक्षा कर्मी वर्ग-1	1. सहायक शिक्षा कर्मी वर्ग-1
2. शिक्षा कर्मी वर्ग-3	शिक्षा कर्मी वर्ग-2	सहायक शिक्षा कर्मी वर्ग-2	2. सहायक शिक्षा कर्मी वर्ग-2
3. शिक्षा कर्मी वर्ग-4	शिक्षा कर्मी वर्ग-3	सहायक शिक्षा कर्मी वर्ग-3	3. सहायक शिक्षा कर्मी वर्ग-3
4. शिक्षा कर्मी वर्ग-5	शिक्षा कर्मी वर्ग-4	सहायक शिक्षा कर्मी वर्ग-4	4. सहायक शिक्षा कर्मी वर्ग-4
5. शिक्षा कर्मी वर्ग-6	शिक्षा कर्मी वर्ग-5	सहायक शिक्षा कर्मी वर्ग-5	5. सहायक शिक्षा कर्मी वर्ग-5

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश मिश्र

उपसचिव

[प्र. म. राजपत्र (असाधारण) भाग 1, 1-10-1998 को पृष्ठ क्र. 1 पर प्रकाशित]

### पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

वस्त्रधन भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर, 1998

क्र.एक. 20-95-बाईस-व. 2. मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 53 की उपधारा (2), धारा 70 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम (1993) तथा सेवा की शर्तों विनियम, 1997 में जो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किन्हीं नये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किसे जा चुके हैं, में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

### संशोधन

उक्त नियमों में:-

- (1) नियम 5 के उपनियम (9) के खण्ड (एके) के उपखण्ड (ख) में शब्द "सामान्य प्रार्थना शांति" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा शांत और शांति सहायता तथा मान्यता प्राप्त प्रार्थना शांति" में "स्थापित किए जाएं"

### (2) अनुपूर्वी दो में

- (क) कालम (4) में अनुक्रमिक 1 के सामने अंक "35" के स्थान पर अंक "33" स्थापित किया जाए.
- (ख) कालम (4) में अनुक्रमिक 2 के सामने अंक "32" के स्थान पर अंक "33" स्थापित किया जाए.
- (ग) कालम (4) में अनुक्रमिक 3 के सामने अंक "30" के स्थान पर अंक "33" स्थापित किया जाए.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुनिल कुमार  
सचिव.

### पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

वस्त्रधन भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 1998

क्र. एक-20-95-बाईस-व. 2. उन नियमों का निम्न राज्य सरकार, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 53 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा धारा 70 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश शिक्षा कर्मों (पहली तथा सेवा की शर्तों) विनियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करना प्रस्तावित करता है, निम्नलिखित शब्दों को हटाने के लिये कि उपर्युक्त शर्तों के संशोधन में, जो जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस सूचना के "मध्य प्रदेश राज पत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से सात दिन का अवकाश होने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी शर्त या सूत्र पर जो उक्त प्रारूप के संशोधन में किसी व्यापक 1 उक्त निम्नलिखित कालावधि का अवकाश होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा

### प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में:-

- (1) उद्देशिका में शब्द तथा अंक "धारा 53 की उपधारा (2)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 53 की उपधारा (1) के खण्ड (ख)" स्थापित किया जाए.
- (2) नियम 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड निम्नलिखित शब्द अन्तर्भावित किया जाए:-  
"अनुपूर्वी चार" से अभिप्रेत है धारा के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र"
- (3) नियम 5 के उप नियम (9) के खण्ड (टी) में शब्द तथा अंक "11, प्रति मत नाम प्रतीकांकितों में होने जो छह पास तक विधिवान्वय होगी" के स्थान पर शब्द "या अतिरिक्त 5 नाम या 20 प्रतिशत नाम जो भी अधिक जो प्रतीकांकितों में होने जो भी अधिक तक विधिवान्वय होगी" स्थापित किए जाएं.
- (4) अनुपूर्वी दो में:-  
(क) अनुक्रमिक 1 के सामने कालम (6) में शब्द "सामान्य" के स्थान पर शब्द "स्थापित किया जाए"

(5)

(69)

4

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन-462003

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 28-6-07

क्रमांक एफ 1-4/07/बीस-1 : राज्य शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की पंचायत राज एवं नगरीय निकाय को अंतरित शालाओं में कार्यरत संविदा शाला शिक्षक, शिक्षाकर्मी एवं गुरुजी आदि के भेदों को समाप्त कर उनके नियमितिकरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए श्री डी० पी० दुबे (सेवानिवृत्त आई०ए०एन०) की अध्यक्षता में एकल समिति का गठन म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/3095/ 4473/05/ 1/3, भोपाल, दिनांक 19.12.2005 द्वारा किया गया था।

2. श्री डी. पी. दुबे समिति की अनुशंसाओं पर विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गए हैं:-

2.1 पंचायतों एवं नगरीय निकायों में कार्यरत शिक्षाकर्मी संवर्ग समाप्त करते हुए उनके स्थान पर अध्यापक संवर्ग का गठन किया जाए।

2.2 अध्यापक संवर्ग में सम्मिलित पद एवं उनके वेतनमान निम्नानुसार होंगे:-

1. वरिष्ठ अध्यापक

रु. 5000-175-8500

2. अध्यापक

रु. 4000-125-6500

3. सहायक अध्यापक

रु. 3000-100-5000

23 अध्यापक संवर्ग का गठन दिनांक 01.04.2007 से किया जाए। ✓

24 शिक्षाकर्मि -

(क) मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मि (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1997 एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मि (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1998 के तहत नियुक्त शिक्षाकर्मि वर्ग-1, 2 एवं 3 का अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर संविलियन किया जाए। शिक्षाकर्मि वर्ग-1 को वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षाकर्मि वर्ग-2 को अध्यापक व शिक्षाकर्मि वर्ग-3 को सहायक अध्यापक के पद व वेतनमान में संविलियन किया जाए। अध्यापक संवर्ग में संविलियन करते समय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए। संविलियन करते समय आरक्षित संवर्ग के शिक्षाकर्मियों को, जिनकी नियुक्ति अनारक्षित संवर्ग के अंतर्गत हुई है को अनारक्षित संवर्ग में एवं आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त शिक्षाकर्मियों को आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के रोस्टर में रखा जाए। अध्यापक संवर्ग में संविलियन किए गए शिक्षाकर्मियों की आपसी वरिष्ठता वही होगी, जो शिक्षाकर्मि संवर्ग में थी।

(ख) अध्यापक संवर्ग में वेतन निर्धारण करते समय शिक्षाकर्मि संवर्ग में पूर्ण किये गये प्रत्येक तीन वर्ष के पूर्ण कालखण्ड के लिए अध्यापक संवर्ग में एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए। तीन वर्ष से कम कार्यकाल के लिए वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी। निर्धारित किए गए वेतन पर दिनांक 01.04.2007 से 20 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देय होगा। इस तिथि के बाद जब-जब म.प्र. शासन के कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते में वृद्धि होगी तदनुसार अध्यापक संवर्ग को भी मंहगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। ऐसे शिक्षाकर्मि जिन्हें अध्यापक संवर्ग के नये वेतनमान में पुराने वेतनमान की तुलना में कुल प्राप्त परिलब्धियों (वेतन वृद्धि एवं उस पर देय 20 प्रतिशत मंहगाई भत्ते सहित) का अंतर रु. 750/- से कम है तो उस शिक्षाकर्मि को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का अधिभार देकर वेतन निर्धारण किया जाए।

(ग) ऐसे शिक्षाकर्मी जिन्होंने एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण (बी.एड./डी.एड.) की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त नहीं की है उन्हें निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने के उपरान्त ही अध्यापक संवर्ग में अगली वेतनवृद्धियां स्वीकृत की जाएं। ऐसे मामलों में शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि करने पर छूटी हुई वेतनवृद्धियां जारी की जाएं किन्तु एरियर्स की पात्रता नहीं होगी। ऐसे शिक्षाकर्मियों को स्वयं के व्यय पर शिक्षण-प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करना होगी, जिसके लिए उन्हें एक बार सदैवनिक अवकाश स्वीकृत किया जाए।

(घ) शिक्षाकर्मियों का उपरोक्तानुसार अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक 01.04.2007 से किया जाएगा ! इनके अध्यापन कार्यकाल की गणना दिनांक 01.04.2007 की स्थिति में की जाएगी। संविलियन के उपरान्त उन्हें कडिका 22 में उल्लेखित वेतनमान प्राप्त होगा।

## 2.5 संविदा शाला शिक्षक -

(क) संविदा शाला शिक्षकों को तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति काल पूर्ण करने के उपरान्त अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता पर विचार एक छानबीन समिति द्वारा किया जाए। संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्त तभी किया जाए जब संविदा काल में उनका कार्य विभाग द्वारा निर्धारित वस्तुपूरक मापदण्डों पर संतोषजनक रहा हो, तथा उनके द्वारा एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त कर ली गई हो। अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के समय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए। नियुक्ति करते समय आरक्षित संवर्ग के संविदा शाला शिक्षकों को, जिनकी नियुक्ति अनारक्षित संवर्ग के अंतर्गत हुई है को अनारक्षित संवर्ग में एवं आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों को आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के रोस्टर में रखा जाए। छानबीन समिति एवं वस्तुपूरक मूल्यांकन के मापदण्ड हेतु एक से अधिक जारी किये जा रहे हैं।

(ख) जिन संविदा शाला शिक्षकों का संविदा काल में कार्य उक्तानुसार निर्धारित वस्तुपरक मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने के आधार पर नये संवर्ग में प्रवेश नहीं दिया जाता है उनकी संविदा का आगे नवीनीकरण नहीं किया जाए।

(ग) जिन संविदा शाला शिक्षकों का संविदा काल में कार्य उक्तानुसार निर्धारित वस्तुपरक मापदण्डों के अनुरूप रहा है परन्तु केवल निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त नहीं होने के कारण उनकी नये संवर्ग में नियुक्ति नहीं हो पायी हो उनकी संविदा अवधि का आगामी तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाए तथा उन्हें स्वयं के व्यय पर शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने का अवसर दिया जाए। ऐसे संविदा शाला शिक्षकों को इस हेतु एक बार सदैवनिक अवकाश स्वीकृत किया जाए। निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि प्राप्त करने पर ही पुनः उनकी अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता के संबंध में छानबीन समिति द्वारा विचार किया जाए और योग्य पाए जाने पर उन्हें अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जाए। ऐसे संविदा शाला शिक्षक जो दूसरी संविदा अवधि के उपरान्त भी अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं या निर्धारित शिक्षण प्रशिक्षण की उपाधि/पत्रोपाधि की अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, उनकी संविदा नियुक्ति का आगे नवीनीकरण नहीं किया जाए।

(घ) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 को वरिष्ठ अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 को अध्यापक एवं संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 को सहायक अध्यापक के पद पर अध्यापक संवर्ग के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाए।

(ङ) संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग के समान अनुग्रह राशि (Ex-gratia) दी जाए।

(9)

(73)

(घ) वर्ष 2001 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका क्रमांक-21473/2004 एवं 4659/2005 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.04.2005 द्वारा स्थगित है। अतः अध्यापक संवर्ग में इनकी नियुक्ति की कार्रवाई अभी स्थगित रहेगी। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्राप्त होने पर उस निर्णय के अध्याधीन पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।

(छ) वर्ष 2003 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की संविदा नवीनीकरण के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में आई0ए0 दायर कर इस संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश चाहे गये हैं। अतः अध्यापक संवर्ग में इनकी नियुक्ति की कार्रवाई अभी स्थगित रहेगी। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त होने पर पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।

(ज) संविदा शाला शिक्षक भर्ती की वर्तमान व्यवस्था निरंतर जारी रखी जाए। संविदाकाल के पूर्ण होने के उपरान्त संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता पर विचार करने हेतु नाटित छानबीन समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर उपरोक्त कंडिकाओं अनुसार अध्यापक संवर्ग के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किया जाए।

26 गुरुजी -

ऐसी ई.जी.एस. शालाएं जिन्हें प्राथमिक शाला में प्रोन्नत नहीं किया गया है एवं जिनके गुरुजियों को वर्तमान में एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, ऐसे गुरुजियों को देय मानदेय में रु. 750/- प्रतिमाह की वृद्धि की जाए।

राज्य शासन के उपरोक्त निर्णय के अनुसार शिक्षाकर्मियों के अध्यापक संवर्ग में संविलियन व वेतन निर्धारण करने की कार्यवाही स्थानीय निकायों द्वारा निम्नानुसार तत्काल कर ली जाए:-

शिक्षाकर्म श्रेणी	प्राधिकारी जिसके द्वारा संविलियन के आदेश जारी किए जाएंगे व वेतन निर्धारण किया जाएगा
शिक्षाकर्म वर्ग-1 एवं शिक्षाकर्म वर्ग-2 का क्रमशः वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक के पदों पर संविलियन	संबंधित जिला पंचायत अथवा नगरीय निकाय
शिक्षाकर्म वर्ग-3 का सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन	संबंधित जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय

राज्य शासन के संबंधित दिनांकों द्वारा अध्यापक संवर्ग के वर्ग एवं स्तर के नियमों को बनाने की कार्यवाही की जाएगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के. सी. पंत)

अवर सचिव

स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 28-6-07

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मुख्य मंत्रीजी, म0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन।
3. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, म0प्र0 शासन।
4. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, म0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, म0प्र0 शासन।

7. प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, म०प्र० शासन ।
8. सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म०प्र० शासन ।
9. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म०प्र० शासन ।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, म०प्र० ।
11. आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म०प्र० ।
12. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल, म०प्र० ।
13. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग ।
14. समस्त, कलेक्टर,
15. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
16. समस्त, आयुक्त, नगर निगम,
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण,
18. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
19. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग,
20. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत,
21. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश ।

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमिटल के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनागत डाक व्यवस्था की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



संजी. क्रमांक भोपाल डिवाजन  
प. प्र-103-भोपाल-06-03.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 556.]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 सितम्बर 2008—भाद्र 20, शक 1930

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, चतुर्भुज भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2008

क्र. एफ-1-3-2008-आईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक, सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 13 अगस्त, 2008 को पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (निर्वाचन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 है.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अवलोकित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक एक, सन् 1994);
- (ख) अध्यापक के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कालम (4) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
- (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (घ) "अर्हता" से अभिप्रेत है, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट अध्यापक संवर्ग की अर्हताएं;
- (ङ) "पंचायत" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन गठित की गयी यथास्थिति, कोई जिला पंचायत या जनपद पंचायत;
- (च) "अध्यापक संवर्ग" से अभिप्रेत है, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणधीन स्कूलों में अध्यापन के लिए नियोजित/संविलेयन किया गया व्यक्ति.

(51)

(13)

(2)

1312

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2008

- (ख) "शिक्षाकर्म" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शिक्षाकर्म (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1997 के यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के पद पर के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
- (घ) "संविदा शाला शिक्षक" से अभिप्रेत है, संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की नियम, 2005 के अधीन यथास्थिति, जिला शिक्षा अधिकारी या जनपद पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों में अ के लिये नियोजित/नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति);
- (ङ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का व्यक्ति, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनु जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (च) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जन समुदाय का भाग या उसमें का व्यक्ति, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ट) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ठ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची; और
- (ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना.—ये नियम, यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन समस्त स्कूलों के नियोजित/संविलयन किए गए प्रत्येक अध्यापक संवर्ग को लागू होंगे।

4. वर्गीकरण तथा वेतनमान.—अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण और वेतनमान ऐसे होंगे जैसा कि इन नियमों से संलग्न अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किया जाए, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या इस निमित्त राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, परिच नहीं की जाएगी।

5. चयन तथा नियुक्ति का तरीका.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् अध्यापक संवर्ग में भर्ती निम्नलिखित तरीके के अंतर्गत की जाएगी, अर्थात्:—

- (1) मध्यप्रदेश पंचायत शिक्षाकर्म (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1997 के अधीन नियुक्त किए गए शिक्षाकर्म के संविलयन द्वारा;

स्पष्टीकरण.—(एक) शिक्षाकर्म श्रेणी (ग्रेड)-1 का संविलयन वरिष्ठ अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा।

(दो) शिक्षाकर्म श्रेणी (ग्रेड)-2 का संविलयन अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा।

(तीन) शिक्षाकर्म श्रेणी (ग्रेड)-3 का संविलयन सहायक अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा।

(चार) अध्यापक संवर्ग में प्रत्येक व्यक्ति का संविलयन दिनांक 1-4-2007 की स्थिति में किया जाएगा, जबकि अध्यापक संवर्ग में उनके वेतन निर्धारण करते समय शिक्षाकर्म के रूप में तीन वर्ष की निरंतर सेवा करने वाले व्यक्ति को अध्यापक संवर्ग में एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 1-4-08 से प्रभावी होगी।

- (2) संविदा शाला शिक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर नियुक्त किया जाएगा:—

(क) ऐसे संविदा शाला शिक्षक को अपने तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति की कालावधि पूर्ण कर ली है तथा अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पर विचार करते हेतु उक्त अवधि समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन पात्र पाये जाने पर, अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जाएगा।

(ख) क्रमशः सविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 को वरिष्ठ अध्यापक, सविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 को अध्यापक तथा सविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 को सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापक संवर्ग के वर्तमान के न्यूनतम पर नियुक्त किया जाएगा. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख एक वर्ष की सेवा के पूर्ण करने के पश्चात् होगी.

(ग) अध्यापक संवर्ग में ऐसे सविदा शाला शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, जिन्होंने अनुसूची-दी के कॉलम (3) में विहित शैक्षणिक एवं शिक्षण/प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त कर ली हो.

(घ) अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए छात्रों समिते के नाम से एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

- |     |  |              |
|-----|--|--------------|
| (1) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत               | — अध्यक्ष    |
| (2) | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (संबंधित)     | — सदस्य      |
| (3) | जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण | — सदस्य सचिव |
| (4) | अनुसूचित जाति/जनजाति प्रदर्शन का एक अधिकारी        | — सदस्य      |

(3) नियुक्ति/नियुक्तियन करते समय मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना त्तमार्क एफ 6 1 2002 आ.प्र.-एक, दिनांक 19-9-2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को अनुपालन किया जाएगा और समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार कार्य किया जाएगा.

6. पदोन्नति.—अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति पर नियुक्ति की जाएगी, वेतन निर्धारण इस निमित्त बनाए गए पंचायत विभाग के नियमों के अनुसार किया जाएगा.

7. अपील.—इन नियमों के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अधिनियम में क्या उल्लिखित संबंधित अपील प्राधिकारी को अपील करेगा.

8. अन्य शर्तें.—(क) इन नियमों के अधीन नियोजित कोई व्यक्ति जिला पंचायत या जनपद पंचायत के प्रशासकीय तथा अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा. अध्यापक संवर्ग के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे:-

अनुक्रमांक (1)	अध्यापक संवर्ग (2)	अनुशासनात्मक प्राधिकारी (3)	अपीलीय प्राधिकारी (4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलक्टर
2	अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलक्टर
3	सहायक अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलक्टर

टिप्पणी.—कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार करेगा.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 2008

1112 (2)

(ख) इन नियमों के अधीन नियोजित या संविलसित किया गया कोई व्यक्ति, स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षकों के अवकाश का हकदार होगा।

(ग) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई भी व्यक्ति मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आंचरण) नियम, 1998 द्वारा शासित

(घ) अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्तियों की आयु 62 वर्ष होगी।

(ङ) इन नियमों के अधीन नियोजित व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति के लिए वही शर्त होंगी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त आ की जाए।

(च) इन नियमों के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की मुहंताई भत्ता तथा अन्य भत्ते अध्यापक संवर्ग के लिए राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार देय होंगे।

9. राज्य सरकार की शक्ति—इन नियमों के अधीन विहित करने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करके किया जाएगा।

10. निर्वचन—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

11. निष्कास और शक्ति—मध्यप्रदेश निष्कास विभाग (जो एन सी के एन) नियम, 1997 लागू होगा निरन्तर किया

परन्तु इस प्रकार निर्यात नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गयी कोई कार्रवाई के संबंध में यह समझ कि वह इन नियमों के तत्त्वानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश है या की गई कार्रवाई है।

अनुसूची—एक

[नियम-2(ख) तथा नियम-4]

अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण तथा वेतनमान

अनुक्रमिक	अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	5000—175—8500	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
2	अध्यापक	4000—125—6500	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
3	सहायक अध्यापक	3000—100—5000	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

अनुसूची—दो

[नियम-2(घ)]

अध्यापक संवर्ग के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण अर्हताएं

अनुक्रमिक	अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण	शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण अर्हता	अभ्युक्तिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	संक्षिप्त विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं बी.एड./बी. एड. (विशेष शिक्षा)	संस्कृत पाठशाला के वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के न्यूनतम अर्हता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय में स्वीकृत होंगे

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अध्यापक	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा)/बी.टी.सी./डी.एड./डी.एस.ई.	संस्कृत पाठशाला के अध्यापक (संस्कृत) के लिए न्यूनतम अर्हता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शाली उपाधि होगी.
3	सहायक अध्यापक	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा या समकक्ष एवं बी.टी.सी./डी.एड./डी.एस.ई.	<p>(1) संस्कृत पाठशाला के सहायक अध्यापक (संस्कृत) के लिए संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से संस्कृत में उत्तर मध्यमा न्यूनतम अर्हता होगी.</p> <p>(2) सहायक अध्यापक (संगीत/तबला शिक्षक) के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत प्रमाण-पत्र में न्यूनतम अर्हता होगी.</p> <p>(3) सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) के लिए उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा के अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा का प्रमाण-पत्र न्यूनतम अर्हता होगी.</p>

टिप्पण.— 1. अध्यापक संवर्ग के पद मध्यप्रदेश पंचायत शिक्षकभर्ती (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1997 अधीन नियुक्त किए गए शिक्षकभर्तियों के संवितरण से भरे जाएंगे.

2. मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के अधीन नियुक्त किये गये संविदा शाला शिक्षक तीन वर्ष की संविदा कालावधि पूर्ण होने के पश्चात् अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किए जाएंगे.

3. अध्यापक संवर्ग में कोई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी.

अनुसूची—तीन

[नियम-5 एवं 6 देखिए]

अध्यापक संवर्ग के पदों का विवरण

अनुक्रमांक (1)	अध्यापक संवर्ग (2)	पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता (3)
1	वरिष्ठ अध्यापक	50 प्रतिशत
2	अध्यापक	50 प्रतिशत

टिप्पण.— अनुक्रमांक 1 तथा 2 में उल्लिखित पद सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरे जाएंगे. इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सीधी भर्ती संवर्ग के अधीन उपलब्ध पद की कुल संख्या में से—

1. 50 प्रतिशत पद संविदा शाला शिक्षक के श्रेणी (ग्रेड)-1 तथा श्रेणी (ग्रेड)-2 को सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए जाएंगे.

2. शेष 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ अध्यापक तथा अध्यापक को पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे.

55 17  
6

1112 (4)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11, सितम्बर 2008

**अनुसूची-चार**

[नियम-2(घ) तथा नियम 6]

**अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति**

अनुक्रमिक क्रमांक	पदनाम जिससे पदोन्नति की जाना है	पदनाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति के लिए अर्हता तथा अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अध्यापक	वरिष्ठ अध्यापक	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण-प्रशिक्षण उपाधि / पत्रोपाधि (डिप्लोमा) तथा थारित पद पर न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव हो	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-अध्यक्ष. 2. जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आ आदिम जाति/जिला संयोजक, आदिम कल्याण विभाग-सदस्य. 3. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आ आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्दिष्ट प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध विद्यालय-सदस्य. 4. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित ज से एक अधिकारी-सदस्य.
2	सहायक अध्यापक	अध्यापक	संबंधित विषय में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण-प्रशिक्षण उपाधि / पत्रोपाधि (डिप्लोमा) तथा थारित पद पर न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव हो	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-अध्यक्ष. 2. जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आ आदिम जाति/ जिला संयोजक, आदिम कल्याण विभाग-सदस्य. 3. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आ आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा नाम-र् प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्या विद्यालय-सदस्य. 4. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित ज से एक अधिकारी-सदस्य.

टिप्पण.— 1. अध्यापक संवर्ग में शिक्षाकर्मियों के संवितरण के पश्चात् शिक्षाकर्मों के रूप में उनके द्वारा की गई सेवा को केवल पदोन्नति/क्रमोन्नति/वरिष्ठता के प्रयोजन हेतु की जाएगी.

**अनुसूची-पांच**

**अध्यापक संवर्ग के पदों की संख्या का विवरण**

1. जितनी संख्या में, शिक्षाकर्मियों का संवितरण अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर किया जाएगा, उतनी ही संख्या में अध्यापक संवर्ग में सृजित किए गए समझे जाएंगे.
2. जितनी संख्या में, संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति अध्यापक संवर्ग सुसंगत पद पर की जाएगी, उतनी ही संख्या में अध्यापक संवर्ग में सृजित किए गए समझे जाएंगे एवं उतनी संख्या में संविदा शाला शिक्षक संवर्ग से पद समत किए गए समझे जा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जर्मिला सोन्द्र शुक्ला, उपसर्

धोषल, दिनांक 11 सितम्बर 2008

क्र. एफ-1-3-2008-बाईस-पं.-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के छण्ड (3) के अनुसार में, इस विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3-बाईस-पं.-2-08, दिनांक 11 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रका किया जात है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(18)

(56)

मुख्य मन्त्री, मन्त्रालय, जनसभा भवन,  
पुणे, दिनांक 22/11/55,  
दिनांक 10-1-56 द्वारा पूर्व भुगतान  
वाक्यमालिका डाकचक्र की पूर्व अज्ञापना  
द्वारा द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी. क्रमांक भोपाल दिनांक  
म. प्र.-103-भोपाल-06-06.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 562]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर 2008—भाद्र 26, शक 1930

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्र. 39-1692-08-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 433 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 95 के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

## नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरीय विकास अध्यापक सर्वग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 है.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषा.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);

(ख) "अध्यापक सर्वग" के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, नगरपालिका निगम की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 58 के अधीन तथा नगरपालिका तथा नगर पंचायत की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 94 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार.

57

19

1124

मध्य प्रदेश राज्य, दिनांक 17 दिसम्बर 2008

- (म) "अहंता" से अभिप्रेत है, अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट अध्यापक संवर्ग की अहंताएं;
- (न) "नगरीय निकाय" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अधीन गठित किया गया कोई नगरपालिका निगम या मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन गठित की गई कोई नगरपालिका या नगर पंचायत;
- (प) "अध्यापक संवर्ग" से अभिप्रेत है, नगरीय निकाय द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों में अध्यापन के लिये नियोजित/संचालन किया गया व्यक्ति;
- (द) "शिक्षाकर्मी" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1998 के अधीन नगरीय निकाय द्वारा अध्यापन के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
- (ज) "संविदा शाला शिक्षक" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के अधीन नगरीय निकाय द्वारा नियुक्त/नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
- (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, भूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, भूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ट) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत हैं, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, दयासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा दयाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ठ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची; और
- (ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना.—ये नियम, नगरीय निकाय द्वारा उनके नियंत्रणाधीन समस्त स्कूलों के लिए नियुक्त/संचालन किए गए प्रत्येक अध्यापक संवर्ग को लागू होंगे।

4. वर्गीकरण तथा वेतनमान.—अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण और वेतनमान ऐसा होगा जैसा कि इन नियमों से संलग्न अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किया जाए, सेवा में सम्प्लित पदों की संख्या इस निमित्त राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय परिवर्तित नहीं की जाएगी।

5. चयन तथा नियुक्ति का तरीका.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् अध्यापक संवर्ग में भर्ती निम्नलिखित तरीके के अनुसार की जाएगी, अर्थात्:—

- (1) मध्य प्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1998 के अधीन नियुक्त किए गए शिक्षाकर्मीयों के संचालन द्वारा;

स्पष्टीकरण.—(एक) शिक्षाकर्मी श्रेणी (ग्रैंड)—1 का संचालन वरिष्ठ अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा।

(दो) शिक्षाकर्मी श्रेणी (ग्रैंड)—2 का संचालन अध्यापक के पद तथा वेतनमान पर किया जाएगा,

(तीन) शिक्षक श्रेणी (ग्रेड) - 3 का संविलयन सहायक अध्यापक के पद तथा वेतनमान में किया जाएगा.

(चार) अध्यापक संवर्ग में प्रत्येक व्यक्ति का संविलयन दिनांक 1 अप्रैल 2007 की स्थिति में किया जाएगा, जबकि अध्यापक संवर्ग में उनके वेतन निर्धारण करते समय शिक्षक श्रेणी के रूप में तीन वर्ष की निरंतर सेवा करने वाले व्यक्ति को अध्यापक संवर्ग में एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा. आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 1 अप्रैल 2008 से प्रभाव में होगी.

(2) संविदा शाला शिक्षक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर नियुक्त किया जाएगा:—

(एक) ऐसे संविदा शाला शिक्षक को जिसने तीन वर्ष की संविदा नियुक्ति कालावधि पूर्ण कर ली है तथा अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु पात्रता पर विचार करने हेतु गठित छानबीन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र पाये जाने पर, अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किया जाएगा.

(दो) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी (ग्रेड) - 1 को वरिष्ठ अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी (ग्रेड) - 2 को अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी (ग्रेड) - 3 को क्रमशः सहायक अध्यापक के रूप में, अध्यापक संवर्ग के वेतनमान के न्यूनतम पर नियुक्त किया जाएगा. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख एक वर्ष की सेवा के पूर्ण करने के पश्चात् होगी.

(तीन) अध्यापक संवर्ग में ऐसे संविदा शाला शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, जिन्होंने अनुसूची-दो के कॉलम (3) में विहित शैक्षणिक एवं शिक्षण/प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त कर ली हो.

(चार) अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति के लिए छानबीन समिति के नाम से एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

(1) कलेक्टर का प्रतिनिधि (नगरपालिका/नगर पंचायत के लिए) — अध्यक्ष  
आयुक्त, नगरपालिका निगम (नगरपालिका निगम के लिए)

(2) (1) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत — सदस्य-सचिव  
(2) जिला शिक्षा अधिकारी (नगरपालिका निगम के लिये)

(3) जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त (नगरपालिका/नगर पंचायत के लिए)/ कलेक्टर का प्रतिनिधि (नगरपालिका निगम के लिए) — सदस्य

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवर्ग से एक अधिकारी — सदस्य

(3) नियुक्ति/संविलयन करते समय मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक एफ-6-1-2002-आ.प्र.-एक, दिनांक 19 सितम्बर 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा और समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में कार्रवाई की जाएगी.

6. पदोन्नति.—पदोन्नति पर नियुक्ति अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जाएगी. वेतन निर्धारण इस निमित्त बनाए गए नगरीय निकाय के नियमों के अनुसार किया जाएगा.

7. अपील.—इन नियमों के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अधिनियम में यथाउल्लिखित संबंधित अपील प्राधिकारी को अपील करेगा.

59 21

1124 (2)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2008

8. अन्य शर्तें.—(क) इन नियमों के अधीन नियोजित कोई व्यक्ति, नगरीय निकाय के प्रशासकीय तथा अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा. अध्यापक संवर्ग के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे:—

अनुक्रमिक	अध्यापक संवर्ग	अनुशासनात्मक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलेक्टर
2	अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलेक्टर
3	सहायक अध्यापक	यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/सहायक आयुक्त/ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग.	जिला कलेक्टर

टिप्पण.—कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार करेगा.

(ख) इन नियमों के अधीन नियुक्त या संविलपन किया गया कोई व्यक्ति, स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षकों के समान अवकाश का हकदार होगा.

(ग) इन नियमों के अधीन नियोजित किया गया कोई भी व्यक्ति, नगरीय निकाय नियमों द्वारा शासित होगा.

(घ) अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्तियों की अधिवार्षिकी की आयु 62 वर्ष होगी.

(ङ) इन नियमों के अधीन नियोजित व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति के लिए वही शर्तें होंगी जो राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त अधिसूचित की जाएं.

(च) इन नियमों के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अध्यापक संवर्ग के लिये राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर अधिसूचित किये गये अनुसार देय होंगे.

9. राज्य सरकार की विहित करने की शक्ति.—इन नियमों के अधीन विहित करने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी आदेश जारी करके किया जायेगा.

10. निर्वचन—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को विनिर्दिष्ट किया जावेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

11. निरसन और व्यावृत्ति.—मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मियों (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1993 एतद्वारा निरसित किए जाते हैं:

22

60

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2008

1124 (3)

परन्तु इस प्रकार निरस्त नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई के संबंध में यह समझा जावेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश है या की गई कार्रवाई है।

## अनुसूची—एक

[नियम-2(ख) तथा नियम-4]

अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण तथा वेतनमान

अनुक्रमिक (1)	अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण (2)	वेतनमान (3)	नियुक्ति प्राधिकारी (4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	5000-175-8500	नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार
2	अध्यापक	4000-125-6500	नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार
3	सहायक अध्यापक	3000-100-5000	नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार

## अनुसूची—दो

[नियम-2(ब)]

अध्यापक संवर्ग के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी अर्हताएं

अनुक्रमिक (1)	अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण (2)	शैक्षणिक एवं शिक्षण- प्रशिक्षण संबंधी अर्हता (3)	अभ्युक्तियां (4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं बी.एड./बी. एड. (विशेष शिक्षा).	संस्कृत पाठशाला के वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के लिए न्यूनतम अर्हता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यताप्राप्त प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि होगी.
2	अध्यापक	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा)/ बी.टी.सी./डी.एड./डी.एस.ई.	संस्कृत पाठशाला के अध्यापक (संस्कृत) के लिए न्यूनतम अर्हता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि होगी.
3	सहायक अध्यापक	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा या समकक्ष एवं बी.टी.सी./डी.एड./डी.एस.ई.	(1) संस्कृत पाठशाला के सहायक अध्यापक (संस्कृत) के लिए संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यताप्राप्त संस्था/ बोर्ड से संस्कृत में उत्तर मध्यमा न्यूनतम अर्हता होगी. (2) सहायक अध्यापक (संगीत/तबला शिक्षक) के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत प्रमाण-पत्र न्यूनतम अर्हता होगी. (3) सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) के लिए उ. मा. प्रमाण-पत्र परीक्षा के अतिरिक्त किसी मान्यताप्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा का प्रमाण-पत्र न्यूनतम अर्हता होगी.

टिप्पण.— 1. अध्यापक संवर्ग के पद मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षाकर्मियों (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1998 के अधीन नियुक्त किए गए शिक्षाकर्मियों के संचालित से भरे जाएंगे.

61 23

1124 (4)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2008

2. मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के अधीन नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों के तीन वर्ष की संविदा कालावधि पूर्ण होने के पश्चात् अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किए जाएंगे.

3. अध्यापक संवर्ग में कोई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी.

अनुसूची—तीन

(नियम-5 एवं 6 देखिए)

अध्यापक संवर्ग के पदों के व्यौरे (विवरण)

अनुक्रमांक (1)	अध्यापक संवर्ग (2)	पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता (3)
1	वरिष्ठ अध्यापक	50 प्रतिशत
2	अध्यापक	50 प्रतिशत

टिप्पण.—अनुक्रमांक 1 तथा 2 में उल्लिखित पद सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरे जाएंगे. इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सीधी भर्ती संवर्ग के अधीन उपलब्ध पद की कुल संख्या में से :-

- 50 प्रतिशत पद संविदा शाला शिक्षक के श्रेणी (ग्रेड)-1 तथा श्रेणी (ग्रेड)-2 की सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए जाएंगे.
- शेष 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ अध्यापक तथा अध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे.

अनुसूची—चार

[नियम-2(घ) तथा नियम 6]

अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति

अनु- क्रमांक (1)	पदनाम जिससे पदोन्नति की जाना है (2)	पदनाम जिस पर पदोन्नति की जाना है (3)	पदोन्नति के लिए अर्हता तथा अनुभव (4)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य (5)
------------------------	--	---	--	--

- |   |               |                |   |  |
|---|---------------|----------------|---|--|
| 1 | अध्यापक       | वरिष्ठ अध्यापक | संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण-प्रशिक्षण संबंधी उपाधि/पत्रोपाधि तथा धारित पद पर न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव. | <ol style="list-style-type: none"> <li>नियुक्ति प्राधिकारी नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार—अध्यक्ष.</li> <li>जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदिम जाति/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग—सदस्य.</li> <li>जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासो विकास द्वारा कम-निर्दिष्ट प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—सदस्य.</li> <li>अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से एक अधिकारी—सदस्य.</li> </ol> |
| 2 | सहायक अध्यापक | अध्यापक        | संबंधित विषय में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण-प्रशिक्षण  | <ol style="list-style-type: none"> <li>नियुक्ति प्राधिकारी नियम 2 के खण्ड (ख) के अनुसार—अध्यक्ष.</li> </ol>  |

मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2008

1124 (5)

24

62

नियुक्त किए

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

संबंधी उपाधि/पत्रोपाधि तथा धारित पद पर न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव

2. जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदिम जाति/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग—सदस्य

3. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—सदस्य

4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से एक अधिकारी—सदस्य

टिप्पणी—1. अध्यापक संवर्ग में शिक्षाकर्मियों के संविलयन के पश्चात् शिक्षाकर्मी के रूप में उनके द्वारा की गई सेवा की गणना केवल पदोन्नति/क्रमानुसारी, वरिष्ठता के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

अनुसूची—पांच

अध्यापक संवर्ग के पदों की संख्या का विवरण

1. जितनी संख्या में शिक्षाकर्मियों का संविलयन अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर किया जाएगा, उतनी ही संख्या में पद अध्यापक संवर्ग में सृजित किए गए समझे जाएंगे।

2. जितनी संख्या में संविदा शाला शिक्षकों को नियुक्ति अध्यापक संवर्ग के सुसंगत पद पर की जाएगी, उतनी ही संख्या में पद अध्यापक संवर्ग में सृजित किए गए समझे जाएंगे एवं उतनी संख्या में संविदा शाला शिक्षक संवर्ग से पद समाप्त किए गए समझे जाएंगे।

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्र. 39-1692-08-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 39-1692-08-अठारह-3, दिनांक 17 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राघव चन्द्रा, प्रमुख सचिव

Bhopal, the 17th September 2008

No. 39-1692-08-XVIII-3.—In exercise of the Powers conferred by Section 433 read with sub-section (2) of Section 58 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Section 95 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government hereby makes the following Rules, namely :—

# RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Nagreeya Nikay Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Services) Rules, 2008.

(2) They shall come into force from the date of the publication in the "Madhya Pradesh Gazette".



डॉक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना  
डॉक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.  
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी.  
वि. प्र. भु/04 भोपाल-2001.



# मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 मार्च 2001—फाल्गुन 29, शक 1922

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2001

क्र. एफ. 1-3-99-वाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 70 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निर्धारित नियम बनाती है, जो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (5) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए गए चुके हैं।  
अर्थात् :-

## नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा अर्ह) नियम, 2001 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1)

(ख) संविदा शाला शिक्षक के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची 1 के नियम (1) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ग) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची-2 में दिए गए अनुसार संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति के लिए समिति;

- (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
- (ङ) "पंचायत" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित की गई यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत;
- (च) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ज) "संविदा शाला शिक्षक" से अभिप्रेत है यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों में पढ़ाने के लिये नियुक्त किया गया व्यक्ति; और
- (झ) "सामान्य प्रशासन समिति" से अभिप्रेत है यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति.

3. विस्तार तथा लागू होना.—ये नियम जनपद पंचायत या जिला पंचायत द्वारा उनके नियंत्रणाधीन स्कूलों के लिये निर्युक्त किये गये "संविदा शाला शिक्षक" को लागू होंगे.

4. वर्गीकरण तथा संविदा शाला.—संविदा शिक्षकों का वर्गीकरण और उनकी संविदा राशि अनुसूची-एक में दिये गये अनुसार होगी.

5. चयन तथा भरती की प्रक्रिया.—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् संविदा शिक्षकों के संघों की भरती, सीधी भरती के माध्यम से चयन द्वारा की जायेगी.

(2) सीधी भरती के लिये पात्रता की शर्तें.—अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी.

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध संविदा शाला शिक्षक की सीधी भरती को लागू होंगे.

(4) शासन के नियमों के अनुसार महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के लिये, जो पिछड़े वर्गों के हैं, पद आरक्षित किये जायेंगे. साथ ही मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पद आरक्षित किये जायेंगे.

(5) संविदा शाला शिक्षक के पद—

(एक) क्षेत्र में अधिक संख्या में प्रचलित समाचार-पत्रों में से कम से कम किसी एक समाचार-पत्र में विज्ञापित किये जायेंगे;

(दो) स्थानीय रोजगार कार्यालय में अधिसूचित किये जाएंगे; और

(तीन) संबंधित जनपद पंचायत या जिला पंचायत, जैसी भी कि दशा हो, के सूचना फलक पर प्रदर्शित किये जायेंगे.

(6) प्राप्त आवेदनों की छानबीन करने के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और सामान्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की प्रवर्तित योग्यता सूची, पद के लिये विहित की गई अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी.

(7) चयन समिति, यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किये गये नियमों से गठित की जायेगी. सामान्यतः चयन तथा नियुक्ति का कार्य ग्रीष्मावकाश के दौरान शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व होना चाहिये.

(8) (एक) समिति, अभ्यर्थियों का आंकलन करेगी तथा निम्नलिखित रीति से अंक देगी :-

(क) विहित अर्हता परीक्षा की वरीयता (वेटेज) देते समय अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट की गई अर्हता परीक्षा में अभिप्रात अंकों के लिये 65 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे, व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले अभ्यर्थी की वरीयता (वेटेज), सैद्धान्तिक लिखित परीक्षा में अभिप्रात अंकों के आधार पर दी जायेगी.

(ख) संबंधित जनपद पंचायत या जिला पंचायत के स्कूलों में अध्यापन या किसी आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अनुभव के लिये 10 प्रतिशत अंक (एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्ष के अनुभव के लिये) क्रमशः तीन प्रतिशत, छः प्रतिशत और दस प्रतिशत अंक दिये जायेंगे, न्यूनतम आठ मास के शैक्षणिक क्षेत्र की गणना एक वर्ष के अनुभव के रूप में की जायेगी, और उसमें शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों, डी. पी. ई. पी., वैकल्पिक स्कूलों और औपचारिकतर शिक्षा केंद्रों में अध्यापन का अनुभव भी सम्मिलित है. पढ़ना-बढ़ना आन्दोलन की साक्षरता कक्षाओं को पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षकों को, जो कम से कम निक्षर व्यक्तियों को पढ़ना-बढ़ना आन्दोलन के तहत साक्षर बनायेंगे, उन्हें 3 प्रतिशत अंकों का लाभ दिया जायेगा, साक्षर उन्हें माना जायेगा, जो पढ़ना-बढ़ना आन्दोलन के अधीन मापदण्ड के अनुसार मूल्यांकन में उत्तीर्ण हों. ग्रामों में शासन द्वारा रात-प्रतिरात सहायता तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों में अध्यापन के अनुभव के लिये इसी प्रकार का लाभ दिया जायेगा. ग्रामीण स्कूलों में अध्यापन के अनुभव के मूल्यांकन तथा उसके लिये प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता पर सामान्य प्रशासन समिति का विनिर्णय अंतिम होगा.

(ग) डी. एड./बी. एड. आइ/डी. एड. प्रमाण-पत्र के लिये 8 प्रतिशत अंक, स्काउट और गाइड/एन. सी. प्रमाण-पत्र के लिये 2 प्रतिशत अंक और खेल के लिये (अंतर जिला या उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिये) 2 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे.

(घ) साक्षात्कार के लिये 10 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे.

(ङ) अंक बराबर होने की दशा में, अंतिम चयन में प्राथमिकता उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जिन्हें जनपद पंचायत या जिला पंचायत के स्कूलों में अध्यापन का अनुभव है.

(दो) प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये चयन सूची, उनकी योग्यता के क्रम में उपरोक्त आंकलन के आधार पर तैयार की जाएगी और उसके अंतर्गत 5 नाम या 20 प्रतिशत नाम, इनमें से जो भी अधिक हो, की प्रतीक्षा सूची होगी जो कि नौ मास की कालावधि के लिये विधिमान्य होगी. एक एकीकृत चयन सूची भी इस क्रम में तैयार की जाएगी कि अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया गया हो और अन्य नाम अवरोही क्रम में सामान्य प्रवर्ग (अनारक्षित प्रवर्ग) में रिक्रियों की संख्या तक सीमित दर्शाए गए हों. यदि सामान्य प्रवर्ग की सूची में योग्यता के आधार पर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी है तो उसको नियुक्ति को आरक्षित प्रवर्ग की रिक्रि के विरुद्ध नहीं माना जायेगा, इसके पश्चात् आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के नाम, ऐसे प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग की आरक्षित रिक्रियों की संख्या तक सीमित रूप में उनकी योग्यता के क्रम में दर्शाए जायेंगे. एकीकृत चयन सूची के अंतर्गत एक प्रतिक्षा सूची भी होगी, जिसमें अभ्यर्थियों के 5 नाम या 20 प्रतिशत नाम, इनमें से जो भी अधिक हो, उक्त सिद्धान्त के आधार पर होंगे.

(9) चयन सूची से नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित किए गये तथा यथास्थिति, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत द्वारा रखे गये रोल्टर के अनुसार की जाएगी.

6. अनुकंपा नियुक्ति.—नियम 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंचायत, कलेक्टर की सिफारिशों पर, इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों या निर्देशों के अधीन अनुकंपा के आधार पर नियोजन के लिये पात्र किसी व्यक्ति को संबिदा शिक्षक के पद पर नियुक्त कर सकेगी.

7. सेवा में नियुक्ति.—संबिदा शाला शिक्षक के पद पर सीधी भरती के माध्यम से चयनित प्रत्येक व्यक्ति, प्रारंभ में कितनी शिक्षित स्कूल के लिये तीन वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त किया जायेगा. प्रत्येक वर्ष के अंत में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबिदा शाला शिक्षक के कार्य का आंकलन किया जाएगा. तीन वर्ष के पश्चात् संबिदा शिक्षकों को उनके कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन के आधार पर एवं निर्धारित

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् पंचायत के द्वारा पुनः आगामी तीन वर्ष के लिये संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसा व्यक्ति नवीन नियुक्ति पर उस संविदा राशि से, जो वह उसी पद पर उसकी पूर्व की पदावधि के दौरान प्राप्त कर रहा था, 15 प्रतिशत अधिक संविदा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि संविदा शिक्षक का कार्य समाधानप्रद नहीं पाया जाता है तो पंचायत द्वारा उसकी सेवा समाप्त की जाएगी।

8. अनुशासन एवं नियंत्रण.—संविदा शिक्षक, यथास्थिति, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेंगे।

9. अधीन.—इन नियमों के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध कोई अपील, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

10. अन्य शर्तें.—

(क) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

(ख) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार चिकित्सीय सुविधाओं तथा यात्रा भत्ते का हकदार होगा।

(ग) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति ऐसे विविध निधि संबंधी फायदों का हकदार होगा, जिनका राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, अवधारित किया जाये। तथापि वह किसी भी पेंशन संबंधी फायदों का हकदार नहीं होगा।

(घ) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति एक वर्ष में 13 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 1 दिवस के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा, किन्तु अन्य प्रकार के अवकाश या दीर्घावकाश का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा शाला शिक्षक तथा उनके पद स्थानान्तरणीय नहीं हैं। इन नियमों के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को वेतन, भत्ता, गृहभाड़ा या कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

(च) इन नियमों के अधीन सेवाओं का पर्यवसान, पदावधि के अन्तर्गत के पूर्व, किसी भी ओर से एक माह की सूचना या उसके स्थान पर एक माह की संविदा राशि देकर किसी भी समय किया जा सकेगा।

(छ) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आवरण) नियम, 1998 द्वारा शासित होगा। सेवा की कोई अन्य शर्त ऐसी होगी, जैसी कि नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये।

(ज) प्रत्येक व्यक्ति से, जिसे इन नियमों के अधीन संविदा पर नियुक्ति दी जाती है, परामर्श एक में दिए गए पत्र में करार निष्पादित करने की अपेक्षा की जाएगी।

11. ये नियम एवं प्रक्रिया आदिन जाति कल्याण विभाग द्वारा तंत्रित स्कूलों में भी लागू होंगे।

12. निर्वचन.—इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

अनुसूची-एक

[नियम 2(ख) तथा 4 देखिए]

अनु.क्र.	संविदा शाला शिक्षक का वर्गीकरण	पदों की संख्या	संविदा राशि (समेकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियत)	नियुक्ति प्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ग्रेणी-1		रुपये 4,500	जिला पंचायत
2.	ग्रेणी-2		रुपये 3,500	जनपद पंचायत
3.	ग्रेणी-3		रुपये 2,500	जनपद पंचायत

टीप.—(1) सविदा शिक्षकों की विभिन्न श्रेणी के लिये पदों की संख्या का निर्धारण, यथास्थिति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(2) सरकार केवल प्रमाणित प्रस्ताव प्राप्त होने पर, समय-समय पर, सविदा शाला शिक्षक के पद की संख्या अनुमोदित करेगी।

अनुसूची-दो  
[नियम 2(ग) तथा नियम 3 देखिए]

अनु. क्र. (1)	सविदा शाला शिक्षक का वर्गीकरण (2)	न्यूनतम आयु (3)	अधिकतम आयु (4)	शैक्षणिक अर्हता (5)	चयन समिति के सदस्य (6)
1.	श्रेणी-1	20 वर्ष	30 वर्ष	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष।	<ol style="list-style-type: none"> <li>सभापति, जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति—अध्यक्ष।</li> <li>मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत—सदस्य।</li> <li>यथास्थिति, जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास—सदस्य सचिव।</li> <li>सामान्य प्रशासन समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विषय विशेषज्ञ, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी—सदस्य।</li> <li>सामान्य प्रशासन समिति के समस्त सदस्य, जिनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। यदि सामान्य प्रशासन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का एक सदस्य उपलब्ध न हो, तो ऐसे सदस्य सामान्य सभा से नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे—सदस्य।</li> </ol>
2.	श्रेणी-2	21 वर्ष	30 वर्ष	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या समकक्ष।	<ol style="list-style-type: none"> <li>सभापति, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति—अध्यक्ष।</li> <li>मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत—सदस्य।</li> <li>यथास्थिति, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी—सदस्य सचिव।</li> <li>सामान्य प्रशासन समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विषय विशेषज्ञ, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी—सदस्य।</li> <li>सामान्य प्रशासन समिति के समस्त</li> </ol>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अन्य पिछड़ा वर्ग का हो. यदि सामान्य प्रशासन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का एक सदस्य उपलब्ध न हो तो ऐसे सदस्य सामान्य सभा से नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे— सदस्य.

3.

द्वितीय-3

18 वर्ष

30 वर्ष

उच्चतर माध्यमिक

प्रमाण-पत्र

परीक्षा उत्तीर्ण

या समकक्ष.

1. सभापति, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति—अध्यक्ष.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत—सदस्य.
3. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी—सदस्य.
4. सामान्य प्रशासन समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विषय विशेषज्ञ, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी—सदस्य, और.
5. सामान्य प्रशासन समिति के समस्त सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अन्य पिछड़ा वर्ग का हो. यदि सामान्य प्रशासन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य उपलब्ध न हो, तो ऐसा सदस्य, सामान्य सभा से नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा—सदस्य.

टिप्पणी—

(1)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उच्चतर आयु-सीमा में छूट, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगी.

(2)

महिला अभ्यर्थियों के लिये अन्य सभी छूट के अतिरिक्त उच्चतर आयु-सीमा में दस वर्ष की छूट रहेगी.

(3)

जिन अभ्यर्थियों ने संबंधित जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के पर्यवेक्षण के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं में कम तीन वर्ष तक कार्य किया है, उन्हें उच्चतर आयु-सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जा सकेगी.

(4)

औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों को उनकी आयु-सीमा में 8 वर्ष की छूट दी जा सकेगी.

(31)

(34)

मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मार्च 2001

288 (5)

परिशिष्ट-एक  
[निगम 10 (ज) देखिए]

करार का प्रारूप

यह करार दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को एक पक्ष के रूप में श्री ..... (जो इसमें उसके परचाते 'कर्मचारी' कहलायेगा) तथा दूसरे पक्ष के रूप में ..... जिला/जनपद पंचायत के लिए और उसकी ओर से जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के बीच निष्पादित किया गया।

यह जिला/जनपद पंचायत निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों पर दिनांक ..... से कर्मचारी को ..... के रूप में काम पर लेने के लिए सहमत है।

अतएव पक्षकारों के बीच निम्नानुसार करार किया जाता है।

- (1) जिला/जनपद पंचायत कर्मचारी को नियोजित करेगी तथा कर्मचारी तारीख ..... से ..... के रूप में जिला/जनपद पंचायत की सेवा करेगा।
- (2) कर्मचारी तारीख ..... से ..... वर्षों की कालावधि के लिए जिला/जनपद पंचायत में इसमें इसके पश्चात् उपबंधित किए गए अनुसार सेवा के पूर्व पर्यवसान के अध्वधीन रहते हुए सेवा करेगा।
- (3) कर्मचारी अपना संपूर्ण समय सेवा के कर्तव्यों के प्रति समर्पित करेगा तथा अपने स्वयं को किसी व्यापार, कारबार, या जीविका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं लगाएगा और जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से पहले अनुज्ञा अधिप्राप्त किए बिना (दुर्घटना के सिवाय या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी का बीमारी का प्रमाण-पत्र दिये जाने के सिवाय) स्वयं को अनुपस्थित नहीं रखेगा।
- (4) कर्मचारी को उसकी पदस्थापना के स्थान से अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और उसे अपनी पदस्थापना के स्थान पर अपना मुख्यालय रखना होगा।
- (5) इस करार का पर्यवसान, उसके जारी रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को उस आराध की लिखित में कम से कम एक कैलेंडर मास की सूचना देकर किया जा सकेगा और जिला/जनपद पंचायत द्वारा या उसकी ओर से दी गई ऐसी किसी सूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पर्याप्त सूचना है, यदि वह कर्मचारी को संबोधित तथा उसके निवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी गई है।

परन्तु कर्मचारी की सेवाएँ बिना किसी सूचना के भी समाप्त की जा सकेंगी और कर्मचारी को एक मास के वेतन की दर से प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा।

परन्तु यदि करार का पर्यवसान किसी कर्मचारी द्वारा एक मास की अपेक्षित सूचना दिए बिना संविदा कालावधि के अवसान के पूर्व किया जाता है तो वह एक मास के वेतन की दर से प्रतिकर का भुगतान जिला/जनपद पंचायत को करेगा।

- (6) किसी कर्मचारी की सेवाएँ किसी भी समय बिना किसी सूचना के सेवाओं से समाप्त की जा सकेंगी यदि कर्मचारी व्यक्तिगत अवचार का दोषी पाया जाए या इस करार के निबंधनों या अपने कर्तव्यों या समय-समय पर उसे सौंपे गये किन्हीं कर्तव्यों का जानबूझकर उल्लंघन या उसकी उपेक्षा का दोषी पाया जाए।

- (7) कर्मचारी को अपने नियोजन की अवधि के दौरान अपनी सेवाओं के पारिश्रमिक के रूप में रुपये ..... का भुगतान किया जाएगा।

- (8) कर्मचारी को किसी भी पेंशन की पात्रता नहीं होगी।
- (9) इस करार के खण्ड (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जिला/जनपद पंचायत के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस करार के अस्तित्व में रहने के दौरान किसी भी समय सम्यक् रूप से गठित सलाहकार चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट से उसका इस बात से समाधान हो जाने पर कि उसकी सेवाओं को इस विलेख के अधीन अवसान कर दे कि कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने के योग्य नहीं है और उसके खराब स्वास्थ्य की वजह से विचारार्थ कालावधि के लिए अयोग्य बने रहने की संभावना है और तदुपरि उसकी सेवाएं उसे पन्द्रह दिन की सूचना देकर समाप्त कर दी जाएगी इस प्रकार सेवा समाप्ति की दशा में जिला/जनपद पंचायत कर्मचारी को संविदा की आवश्यकता कालावधि के लिये किसी भी प्रतिकर का भुगतान करने के दायित्वाधीन नहीं होगी;
- (10) कर्तव्य के दौरान यात्रा करने के लिए कर्मचारी को ऐसी दर से यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी जैसा कि जिला/जनपद पंचायत द्वारा समय-समय पर घोषित किया जाए।
- (11) कर्मचारी को अपने नियोजन के दौरान इस निम्नित विहित किए गए अवकाश नियमों के अनुसार अवकाश अनुज्ञात किया जाएगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने इस विलेख को जल-दिनांक 20 मार्च 2001 को निम्नलिखित को उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए ..... जिला पंचायत/जनपद पंचायत की मु-सगई गई।

उपस्थिति में—

1. ....
2. ....

- (1) हस्ताक्षर .....  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला/जनपद पंचायत,
- (2) कर्मचारी के हस्ताक्षर (नाम) .....

जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री .....

के मुद्रा सहित हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एस. अहलावत, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2001

क्र. एफ. 1-3-99-आईस-पं-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एस. अहलावत, अपर सचिव.

Bhopal, the 20th March 2001

No. F-1-3-99-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 70 read with sub-section (1) of Section 95 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby makes the following Rules, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely:—

#### RULES

1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Madhya Pradesh Panchayat Sanvidha Shala Shikshak (Appointment and conditions of services) Rules, 2001.

(33)

(76)

मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
भोपाल

क्रमांक एफ-1-3/2013/22/पं-2  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2013

1. समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत,  
मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जनपद पंचायत  
मध्यप्रदेश।

विषय:- अध्यापक संवर्ग को संशोधित वेतनमान दिये जाने के संबंध में।

—0—

ग्रामीण स्थानीय निकायों (जिला पंचायत/जनपद पंचायत) के अंतर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग को वर्तमान में दिए जा रहे वेतनमान के स्थान पर निम्नानुसार वेतन बैंड एवं संवर्ग वेतन दिनांक 01.04.2013 से दिया जाता है:-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग का पदनाम	वेतन-बैंड	संवर्ग वेतन
1	वरिष्ठ अध्यापक	₹ 4500-25000	₹ 1900
2	अध्यापक	₹ 4500-25000	₹ 1650
3	सहायक अध्यापक	₹ 4500-25000	₹ 1250

2/ दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में अध्यापक संवर्ग को नवीन वेतन बैंड में वेतन नियमानुसार ज्ञात किया जाएगा:-

2.1 वर्तमान में प्राप्त हो रहे मूल वेतन में 162 गुणा वृद्धि कर नवीन मूल वेतन प्राप्त होगा, जिसे अगले 10 रुपये पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।

34

79

-2-

2.2 नवीन वेतन बैंड में वेतन की गणना किए जाने पर वेतन एवं सर्वे वेतन का 72 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जाएगा।

3/ वरिष्ठ अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी:-

स. क्र.	वर्तमान मूल वेतन	मूल वेतन का 1.62 गुणा	नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10रुपये के पूर्णांक में)	सर्वे वेतन	मंहगाई भत्ता	नवीन वेतन बैंड में मंहगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	5000	8100	8100	1900	7200	17200
2	5175	8384	8390	1900	7409	17699
3	5350	8667	8670	1900	7610	18180
4	5525	8951	8960	1900	7819	18679
5	5700	9234	9240	1900	8021	19161
6	5875	9518	9520	1900	8222	19642
7	6050	9801	9810	1900	8431	20141
8	6225	10085	10090	1900	8633	20623
9	6400	10368	10370	1900	8834	21104
10	6575	10652	10660	1900	9043	21603

2/5


(33)

(80)

-3-

4/ अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी:-

स.क्र.	वर्तमान मूल वेतन	मूल वेतन का 1.62 गुणा	नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10 रुपये के पूर्णांक में)	संवर्ग वेतन	मंहगाई भत्ता	नवीन वेतन बैंड में मंहगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	4000	6480	6480	1650	5854	13984
2	4125	6683	6690	1650	6005	14345
3	4250	6885	6890	1650	6149	14689
4	4375	7088	7090	1650	6293	15033
5	4500	7290	7290	1650	6437	15377
6	4625	7493	7500	1650	6588	15738
7	4750	7695	7700	1650	6732	16082
8	4875	7898	7900	1650	6876	16426
9	5000	8100	8100	1650	7020	16770
10	5125	8303	8310	1650	7171	17131



3/5

-4-

5/ सहायक अध्यापक की वेतन नियमन तालिका निम्नानुसार होगी :-

स. क्र.	वर्तमान मूल वेतन	मूल वेतन का 1.62 गुणा	नवीन वेतन बैंड में मूल वेतन (अगले 10 रुपये के पूर्णांक में)	संवर्ग वेतन	मंहगाई भत्ता	नवीन वेतन बैंड में मंहगाई भत्ते सहित कुल परिलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1	3000	4860	4860	1250	4399	10509
2	3100	5022	5030	1250	4522	10802
3	3200	5184	5190	1250	4637	11077
4	3300	5346	5350	1250	4752	11352
5	3400	5508	5510	1250	4867	11627
6	3500	5670	5670	1250	4982	11902
7	3600	5832	5840	1250	5105	12195
8	3700	5994	6000	1250	5220	12470
9	3800	6156	6160	1250	5335	12745
10	3900	6318	6320	1250	5450	13020

6/ वेतन वृद्धि की गणना एवं तिथि:- नवीन वेतन बैंड में वेतन वृद्धि की गणना हेतु वेतन बैंड में वेतन एवं संवर्ग वेतन का 3 प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर वेतन बैंड में वेतन निर्धारित किया जाएगा। दिनांक 01.04.2013 को वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप सभी अध्यापक संवर्ग के अध्यापकों की आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.10.2013 होगी।


20

-5-

7/ क्रमोन्नति पर वेतन निर्धारण:- क्रमोन्नति प्राप्त होने की स्थिति में वेतन बैंड में वेतन (संवर्ग वेतन को छोड़कर) का 3 प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर मूल वेतन एवं बढ़ा हुआ संवर्ग वेतन दिया जावेगा।

8/ पदोन्नति पर वेतन निर्धारण:- पदोन्नति की स्थिति में वेतन बैंड में वेतन तथा वर्तमान में प्राप्त संवर्ग वेतन का 3 प्रतिशत जोड़कर अगले 10 रुपये में पूर्णांकित कर वेतन बैंड में वेतन निर्धारित किया जाएगा एवं बढ़ा हुआ संवर्ग वेतन दिया जावेगा।

यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ली गई वित्त विभाग की सहमति टीप क्रमांक यू.ओ.क. 349/362/13/ नियम/चार दिनांक 18.2.2013 के अनुशरण में जारी किया गया है।



(ब्रजेश कुमार)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठांक एफ-1-3/2013/22/पं-2

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2013.

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
  2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र.शासन
  3. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
  4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
  5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन आदिवासी विकास विभाग, ।
  6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग ।
  7. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल
  8. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश ।
  9. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म.प्र.।
  10. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल।
  11. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल, म.प्र.।
  12. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(38)

(85)

Annexure P-7

मध्य प्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

दिनांक: 25/02/2016

आदेश

क्रमांक- एफ-1-31/2013/22/प-2 समसंख्यक आदेश दिनांक 04.09.2013 के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अध्यापक संवर्ग को दिनांक 01.01.2016 से निम्नानुसार छठवां वेतनमान स्वीकृत किया गया है:-

अध्यापक संवर्ग	वेतन बैंड रुपये	ग्रेड-पे रुपये	महगाई भत्ता।
वरिष्ठ अध्यापक	रु. 9300-34800	रु. 3600	दिनांक 01.1.2016 से शासकीय
अध्यापक	रु. 9300-34800	रु. 3200	कर्मचारी को देय महगाई भत्ते के
सहायक अध्यापक	रु. 5200-20200	रु. 2400	तुल्य एवं समय-समय पर की जाने वाली वृद्धि सहित

- छठवां वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से देय है। वेतनमान का नगद भुगतान 01.04.2016 (मई, 2016 में देय) से किया जायेगा। दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2016 तक की बकाया राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जायेगा।
- छठवें वेतनमान अंतर्गत वेतन निर्धारण संबंधी विस्तृत निर्देश वित्त विभाग की सहमति से पृथक से जारी किये जायेंगे।
- यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठबिंदु क्रमांक 244/16/वि/वित्त दिनांक 25/2/16 के अधीन प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(ब्रजेश कुमार)

राशि

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

39

86

// 2 / /

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-1-31/2013/22/प-2

दिनांक 05.02.2016

प्रतिलिपि-

1. माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन।
4. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के स्टॉफ ऑफिसर।
5. निज सहायक/निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा/ वित्त/ नगरीय प्रशासन एवं विकास/ आदिम जाति कल्याण/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, भोपाल/ग्दालियर।
7. आयुक्त, पंचायतराज/लोक शिक्षण/नगरीय प्रशासन एवं विकास/आदिम जाति कल्याण/ अनुसूचित जाति कल्याण/आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र.।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला एवं जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
15. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(40)

(94)

मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय भोपाल

52

## आदेश

भोपाल, दिनांक 7 07.2017  
क्रमांक-एफ-1-31/2013/22/प-2 राज्य शासन विभाग के आदेश दिनांक 04.09.2013 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा नियुक्त सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक संवर्गों को राज्य शासन के अधीन नियुक्त शिक्षक संवर्गों के समान छठवें वेतन आयोग द्वारा अनुसूचित वेतनमान (आगे इसे छठवां वेतनमान कहा जायेगा) दिनांक 01.09.2017 से स्वीकृत करने तथा उक्त संवर्ग को विद्यमान वेतनमान में प्राप्त हो रहे वेतन एवं छठवें वेतनमान में प्राप्त होने वाले वेतन के अंतर की राशि को अंतरिम राहत के रूप में चार वार्षिक किस्तों में प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। इस अंतरिम राहत के निश्चरण के लिये अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना का सिद्धांत रखा गया था। राज्य शासन के आदेश क्रमांक-एफ-1-31/2013/22/प-2 दिनांक 25.02.2016 द्वारा अध्यापक संवर्गों को छठवां वेतनमान दिनांक 01.09.2017 के स्थान पर दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत किया गया।

2. उपर्युक्त आदेश के परिपालन में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.05.2016 एवं आदेश दिनांक 15.10.2016 द्वारा सहायक अध्यापक, अध्यापक तथा वरिष्ठ अध्यापक संवर्गों में कार्यरत अध्यापकों के विद्यमान वेतनमान से छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण की कतिपय विसंगतियों की ओर अध्यापक संवर्ग द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया। परिणामस्वरूप आदेशों का क्रियान्वयन स्थगित रखा गया। समग्र विचारोपरान्त उपर्युक्त आदेश दिनांक 31.05.2016 एवं आदेश दिनांक 15.10.2016 एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं तथा अध्यापक संवर्ग को दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु निम्नानुसार सिद्धांत एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(अ) छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिये सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पूर्ण की गई सेवा अवधि के आधार पर परिशिष्ट-1, परिशिष्ट-2, तथा परिशिष्ट-3 में उल्लेखित अनुसार छठवें वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में उस सेवा अवधि (पूर्ण वर्ष) के सम्मुख दर्शाये गये संबंधित प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ब) छठवें वेतनमान में वेतन वृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग के तीन प्रतिशत के बराबर होगी, जो कि रुपये 10 के अगले गुणांक में पूर्णांकित होगी।

(स) तत्स्थानी वेतनमान में वेतन वृद्धि की तिथि सामान्य रूप से 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को छठवें वेतनमान के दफ्ते में 6 माह या अधिक अवधि पूरा करने वाले वेतन वृद्धि के लिये पात्र होंगे।

28/2/17

1/2/1

97

3. राज्य शासन के अधीन नियुक्त शिक्षक संवर्गों के लिये पदोन्नति तथा क्रमोन्नति वेतनमान के लिये समय-समय पर जारी सेवा शर्त, निर्देश, मापदंड अध्यापक संवर्गों पर भी तदनुसार प्रभावशील होंगे। क्रमोन्नत वेतनमान में म.प्र.मूलभूत नियम तथा राज्य शासन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत वेतन निर्धारित होगा।
4. इस आदेश के अंतर्गत जारी निर्देशों में वेतन निर्धारण में यदि किसी प्रकरण में कोई दुविधा अथवा भ्रांति उद्भूत होती है तो इसका निराकरण इस विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से किया जाये।
5. परिपत्र के पैरा 2 (अ) से पृथक वेतन निर्धारण कर भुगतान किये गये प्रकरणों का पुनः परीक्षण कर वेतन निर्धारण को गथा संशोधित किया जावे। अनियमित अथवा अधिक भुगतान की स्थिति में जाधिक्य राशि का समायोजन/वसूली का दायित्व संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा। वेतन निर्धारण की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण करने का उत्तरदायित्व उस कार्यालय प्रमुख का होगा जिस कार्यालय में सेवापुस्तिका संधारित है।
6. वेतन निर्धारण के फलस्वरूप किये जाने वाले स्वत्वों के भुगतान से पूर्व संबंधित से परिशिष्ट-चार पर उल्लेखित प्रपत्र में वचन पत्र प्राप्त किया जाये।
7. अध्यापक संवर्गों को छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिये विकल्प निर्धारित प्रारूप में इस आदेश के जारी होने के 3 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। विकल्प प्रारूप परिशिष्ट-पांच पर संलग्न है।
8. अध्यापक संवर्गों को छठवां वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से देय है। जुलाई 2017 का वेतन जो अगस्त 2017 में भुगतान होगा, से नगद तथा दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2017 तक की बढ़ी हुई राशि का भुगतान तीन किस्तों में क्रमशः वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में किया जायेगा। एरियर्स की राशि तथा इसके भुगतान की प्रवृष्टि सेवा-पुस्तिका में की जाए।
9. इस आदेश के अंतर्गत जारी वेतनमान में किये गये वेतन निर्धारण का अनुमोदन जिला पंचायतों में पदस्थ वरिष्ठ लेखा अधिकारी अथवा लेखा अधिकारी से कराया जाये।
10. यह आदेश वित्त विभाग के जावक क्रमांक 1118/1382/2017/नियम/चार दिनांक 06.07.2017 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*25/2/18*

(एस.आर.चौधरी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

1/3/11

51

पृष्ठांकन क्रमांक--एफ--1-31/2013/22/पं-2  
प्रतिलिपि-

दिनांक 7 जनवरी, 2017

1. माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन।
4. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के स्टॉफ आफिसर।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा/ वित्त/ नगरीय प्रशासन एवं विकास/ आदिम जाति कल्याण/ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, भोपाल/ ग्वालियर।
7. आयुक्त, पंचायत/लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/नगरीय प्रशासन एवं विकास/आदिम जाति कल्याण/ अनुसूचित जाति कल्याण/आयुक्त कोष एवं लेखा/जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल।
8. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
10. समस्त केलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र.।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला एवं जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
15. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

*28/01/17*  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(43)

(97)

55

परिशिष्ट - 1

दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत 6वें वेतनमान दिए जाने पर वेतन निर्धारण तालिका

सहायक अध्यापक

सेवावधि	विद्यमान वेतनमान (4500-25000+1250)			6वां वेतनमान (5200-20200+2400)		
	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	सर्वग वेतन	योग	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	सर्वग वेतन	योग
प्रारम्भ	4860					
1 वर्ष	5030	1250	6110	7440		
2 वर्ष	5190	1250	6280	7630	2400	9840
3 वर्ष	5350	1250	6440	7820	2400	10030
4 वर्ष	5510	1250	6600	8000	2400	10220
5 वर्ष	5670	1250	6760	8190	2400	10400
6 वर्ष	5840	1250	6920	8370	2400	10590
7 वर्ष	6000	1250	7090	8560	2400	10770
8 वर्ष	6160	1250	7250	8750	2400	10960
9 वर्ष	6320	1250	7410	8930	2400	11150
10 वर्ष	6480	1250	7570	9120	2400	11330
11 वर्ष	6650	1250	7730	9300	2400	11520
12 वर्ष	6810	1250	7900	9490	2400	11700
13 वर्ष	6970	1250	8060	9680	2400	11890
14 वर्ष	7130	1250	8220	9860	2400	12080
			8380	10050	2400	12260
					2400	12450

28/2/18

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(५५)

(१४)

५७

परिशिष्ट - २

दिनांक ०१.०१.२०१६ से स्वीकृत ६वें वेतनमान दिए जाने पर वेतन निर्धारण तालिका

अध्यापक

सेवावधि	विद्यमान वेतनमान (४५००-२५०००+१६५०)			६वां वेतनमान (९३००-३४८००+३२००)		
	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	सर्वग वेतन	योग	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	सर्वग वेतन	योग
प्रारंभ	६४८०	१६५०	८१३०	९३००	३२००	१२५००
१ वर्ष	६६९०	१६५०	८३४०	९५८०	३२००	१२७८०
२ वर्ष	६८९०	१६५०	८५४०	९८६०	३२००	१३०६०
३ वर्ष	७०९०	१६५०	८७४०	१०१४०	३२००	१३३४०
४ वर्ष	७२९०	१६५०	८९४०	१०४२०	३२००	१३६२०
५ वर्ष	७५००	१६५०	९१५०	१०७००	३२००	१३९००
६ वर्ष	७७००	१६५०	९३५०	१०९८०	३२००	१४१८०
७ वर्ष	७९००	१६५०	९५५०	११२६०	३२००	१४४६०
८ वर्ष	८१००	१६५०	९७५०	११५४०	३२००	१४७४०
९ वर्ष	८३१०	१६५०	९९६०	११८२०	३२००	१५०२०
१० वर्ष	८५१०	१६५०	१०१६०	१२०९०	३२००	१५२९०
११ वर्ष	८७१०	१६५०	१०३६०	१२३७०	३२००	१५५७०
१२ वर्ष	८९१०	१६५०	१०५६०	१२६५०	३२००	१५८५०
१३ वर्ष	९१२०	१६५०	१०७७०	१२९३०	३२००	१६१३०
१४ वर्ष	९३२०	१६५०	१०९७०	१३२१०	३२००	१६४१०

*(Signature)*

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(45)

(99)

27

परिशिष्ट - 3

दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत 6वें वेतनमान दिए जाने पर वेतन निर्धारण तालिका

वरिष्ठ अध्यापक

सेवावधि	विद्यमान वेतनमान (4500-25000+1900)			6वां वेतनमान (9300-34800+3600)		
	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संवर्ग वेतन	योग	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संवर्ग वेतन	योग
प्रारम्भ	8100	1900	10000	10230	3600	13830
1 वर्ष	8390	1900	10290	10560	3600	14160
2 वर्ष	8670	1900	10570	10890	3600	14490
3 वर्ष	8960	1900	10860	11210	3600	14810
4 वर्ष	9240	1900	11140	11540	3600	15140
5 वर्ष	9520	1900	11420	11860	3600	15460
6 वर्ष	9810	1900	11710	12190	3600	15790
7 वर्ष	10090	1900	11990	12510	3600	16110
8 वर्ष	10370	1900	12270	12840	3600	16440
9 वर्ष	10660	1900	12560	13160	3600	16760
10 वर्ष	10940	1900	12840	13490	3600	17090
11 वर्ष	11220	1900	13120	13820	3600	17420
12 वर्ष	11510	1900	13410	14140	3600	17740
13 वर्ष	11790	1900	13690	14470	3600	18070
14 वर्ष	12070	1900	13970	14790	3600	18390
15 वर्ष	12360	1900	14260	15120	3600	18720
16 वर्ष	12640	1900	14540	15440	3600	19040

20/2/16

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय भोपाल

69

// आदेश //

ग.प.सं. दिनांक 22/8/2017

क्रमांक-एफ-1-31/2013/22/प-2 जिला/जनपद विधायक अंतर्गत कार्यरत अध्यापक संवर्ग को विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2017 द्वारा छठवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान (आगे इसे छठवां वेतनमान कहा जायेगा) दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत किया गया है। आदेश की कंडिका-2 (अ) में 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस अनुक्रम में स्पष्ट किया जा रहा है कि यही प्रक्रिया विद्यमान वेतनमान में क्रमोन्नति/पदोन्नति वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले अध्यापकों के वेतन निर्धारण में भी प्रभावी रहेगी। विद्यमान वेतनमान में रु. 1650 संवर्ग के सहायक अध्यापक एवं रु. 1900 संवर्ग के वेतन प्राप्त अध्यापक के क्रमोन्नति/पदोन्नति वेतनमान की तालिका संदर्भित आदेश के साथ सलग्न परिशिष्ट-2 एवं तालिका-1 में दर्शित है। विद्यमान वेतनमान में रु. 2150 संवर्ग के वेतन प्राप्त वरिष्ठ अध्यापक को 6वें वेतनमान में क्रमोन्नति के प्रथम सूच्यतः वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान 9300-34800 + 4200 में क्रमोन्नति/पदोन्नति वेतनमान में सहायक अध्यापक, अध्यापक तथा वरिष्ठ अध्यापक के वेतन निर्धारण के लिए वेतन तालिका क्रमांक परिशिष्ट-2 के अनुसार सलग्न है।

2. विद्यमान वेतनमान में क्रमोन्नति/पदोन्नति के माता में वेतन प्राप्त कर रहे सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों का छठवें वेतनमान में वेतन निर्धारण संदर्भित आदेश दिनांक 07.07.2017 की कंडिका 2 (अ) में अनुक्रम में सलग्न परिशिष्टों में विद्यमान वेतनमान अंतर्गत अंकित सेवा अवधि के सम्मुख छठवें वेतनमान अंतर्गत दर्शाये गये प्रक्रम पर किया जायेगा।

3. संदर्भित आदेश दिनांक 07.07.2017 की कंडिका-3 में अध्यापक संवर्ग के लिये पदोन्नति तथा क्रमोन्नति के संबंध में जारी किये गये निर्देश दिनांक 01.01.2016 के परवाना की गई पदोन्नतियां/क्रमोन्नतियां पर प्रभावी होगी।

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा यू.ओ.नं. 1364/1744/17/वित्त/नियम/चार दिनांक 11.08.2017 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(डॉ. मसूद अख्तर)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

/ / 2 / 1

७६

पृष्ठांकन क्रमांक-एक-1-31/2013/22/पं-2  
प्रतिलिपि-

दिनांक २२/८/२०१७

1. माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन।
4. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के स्टाफ ऑफिसर।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा/वित्त/नगरीय प्रशासन विभाग/आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ मवन, भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, भोपाल/ग्वालियर।
7. आयुक्त, क्रोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
9. आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
10. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश।
11. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
12. संचालक, स्थानीय निधि संशोधन, मंत्र, भोपाल की ओर, सूतगंधी।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश।
14. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, क्रोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
17. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
18. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
19. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

71

- परिशिष्ट - क

अध्यापक संवर्ग को स्वीकृत 6वें वेतनमान में क्रमोन्नत / दिोन्नत अध्यापकों के वेतन निर्धारण हेतु तालिका

सहायक अध्यापक

क्रमोन्नत/प्रदोन्नत	सुधवा वेतन नं. 3300-34800+3200)		
वेतनमान (4500-25000+1650) में सेवा अवधि (पूर्ण वर्षों में)	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संवर्ग वेतन	योग
प्रारम्भ	9300	3200	12500
1 वर्ष	9580	3200	12780
2 वर्ष	9860	3200	13060
3 वर्ष	10140	3200	13340
4 वर्ष	10420	3200	13620
5 वर्ष	10700	3200	13900
6 वर्ष	10980	3200	14180
7 वर्ष	11260	3200	14460
8 वर्ष	11540	3200	14740
9 वर्ष	11820	3200	15020

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

जय की विकास एवं आवास विभाग

परिशिष्ट - ख

अध्यापक संवर्ग की स्वीकृत 6वें वेतनमान से क्रमोन्नत/पदोन्नत अध्यापकों के वेतन निर्धारण हेतु तालिका

अध्यापक

क्रमोन्नत/पदोन्नत वेतनमान (4500-25000+1900) में सेवा अवधि (पूर्ण वर्षों में)	छठवां वेतनमान (9300-34800+3600)		
	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	संवर्ग वेतन	योग
प्रारंभ	10230	3600	13830
1 वर्ष	10560	3600	14160
2 वर्ष	10890	3600	14490
3 वर्ष	11210	3600	14810
4 वर्ष	11540	3600	15140
5 वर्ष	11860	3600	15460
6 वर्ष	12190	3600	15790
7 वर्ष	12510	3600	16110
8 वर्ष	12840	3600	16440
9 वर्ष	13160	3600	16760

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

शैक्षणिक विकास एवं आवास विभाग

अध्यापक सर्वग को स्वीकृत 6वें वेतनमान में क्रमान्त/पदोन्नत अध्यापकों के वेतन निर्धारण हेतु तालिकाएँ

वरिष्ठ अध्यापक

78 73

क्रमान्त/पदोन्नत वेतनमान (4500-25000+2150) में सेवा अवधि (पूर्ण वर्षों में)	उत्तरा क्रमान्त वेतनमान (9300-34800+4200)		
	वेतन बैंड में विद्यमान वेतन	सर्वग वेतन	योग
1	2	3	4
प्रारम्भ	12090.00	4200.00	16290.00
1 वर्ष	12470.00	4200.00	16670.00
2 वर्ष	12840.00	4200.00	17040.00
3 वर्ष	13210.00	4200.00	17410.00
4 वर्ष	13580.00	4200.00	17780.00
5 वर्ष	13950.00	4200.00	18150.00
6 वर्ष	14330.00	4200.00	18530.00
7 वर्ष	14700.00	4200.00	18900.00
8 वर्ष	15070.00	4200.00	19270.00
9 वर्ष	15440.00	4200.00	19640.00

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
शैक्षणिक विकास एवं आवास विभाग

(51)

(105)

मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

74

क्रमांक एफ 1-31/2013/22/पं-2

भोपाल, दिनांक 29.12.2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र.।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
7. समस्त कौषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषय :- अध्यापक संवर्ग को स्वीकृत 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण।

-00-

अध्यापक संवर्ग में पदोन्नति/क्रमोन्नति वेतनमान में स्वीकृत 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के संबंध में विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-31/2013/22/पं-2 दिनांक 22.08.2017 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश की कंडिका-2 में उल्लेखित है कि वेतन निर्धारण विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2017 की कंडिका-2(अ) के अनुक्रम में संलग्न परिशिष्टों में विद्यमान वेतनमान अंतर्गत अंकित सेवा अवधि के सम्मुख छठवें वेतनमान अंतर्गत दर्शाये गये प्रक्रम पर किया जायेगा।" कतिपय कार्यालयों द्वारा इस बिन्दु पर मार्गदर्शन चाहा गया था कि अध्यापक संवर्ग में पदोन्नति/क्रमोन्नति प्राप्त अध्यापकों के प्रकरणों में वेतन निर्धारण के लिए सेवा अवधि की गणना किस दिनांक से की जानी है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि क्रमोन्नति/पदोन्नति के प्रकरणों में परिपत्र दिनांक 07.07.2017 की कंडिका-2(अ) अनुसार वेतन निर्धारण के लिए सेवा अवधि की गणना अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति दिनांक से की जावेगी तथा तदनुसार पूर्ण वर्षों के आधार पर सम्मुख प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

2. अध्यापक संवर्ग के 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण प्रक्रिया के संबंध में विभाग के आदेश दिनांक 07.07.2017 एवं 22.08.2017 के अनुक्रम में विभिन्न श्रेणी के वेतन निर्धारण के उदाहरण संलग्न परिशिष्ट-1 से परिशिष्ट-4 पर अंकित हैं।

..2..

(52)

(106)

1/12/17

75

3. उपरोक्त स्पष्टीकरण तथा मार्गदर्शी उदाहरण वित्त विभाग द्वारा यू.ओ.नोट क्रमांक 2071/1382/17/वित्त/नियम/चार दिनांक 5.12.2017- द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी किए गए हैं।

संलग्न- परिशिष्ट-1 से 4

(एस.आर.चौधरी)

उप सचिव

म.प्र.शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठांकमांक एफ 1-31/2013/22/पं.-2

भोपाल, दिनांक 29.12.2017.

1. माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
3. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन।
4. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के स्टॉफ आफिसर।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा/ वित्त/ नगरीय प्रशासन विभाग/आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, भोपाल/ग्वालियर।
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
9. आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
10. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश।
11. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
12. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ
13. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

26.12.17

उप सचिव

म.प्र.शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

सहायक अध्यापक (वेतनमान- 5200-20200+2400)

परिशिष्ट-एक

५६

1.	शिक्षाकर्मि वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संवर्ग में सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	दिनांक 01.01.2016 को कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
4.	आदेश दि.07.07.2017 की कंडिका-2 (अ) के अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
5.	6वें वेतनमान में वेतनमान	5200-20200+2400
6.	दि.01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 07.07.17 के परिशिष्ट - 1 की तालिका के कॉलम-1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के समुख)	8930+2400=11330
7.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

सहायक अध्यापक (क्रमोन्नत/पदोन्नत वेतनमान- 9300-34800+3200)

1.	शिक्षाकर्मि वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संवर्ग में सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमोन्नति अथवा पदोन्नति दिनांक	01.10.2010
4.	दिनांक 01.01.2016 को अध्यापक संवर्ग में की गई कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
5.	आदेश दि.22.08.2017 की कंडिका-2 सहपठित आदेश दि.07.07.17 की कंडिका- 2 (अ) अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
6.	6वें वेतनमान में वेतनमान	9300-34800+3200
7.	दि.01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 22.08.17 के परिशिष्ट- 'क' की तालिका के कॉलम-1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के समुख)	11540+3200=14740
8.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

25/2/2018

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(54)

(108)

परिशिष्ट-दो

अध्यापक (वेतनमान- 9300-34800+3200)

1.	शिक्षाकर्मि वर्ग-2 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संवर्ग में अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	दिनांक 01.01.2016 को कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
4.	आदेश दि.07.07.2017 की कंडिका-2 (अ) के अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
5.	6वें वेतनमान में वेतनमान	9300-34800+3200
6.	दि.01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 07.07.17 के परिशिष्ट - 2 की तालिका के कॉलम-1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के सम्मुख)	11540+3200=14740
7.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

अध्यापक (क्रमोन्नत/पदोन्नत वेतनमान- 9300-34800+3600)

1.	शिक्षाकर्मि वर्ग-2 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संवर्ग में अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमोन्नति अथवा पदोन्नति दिनांक	01.10.2010
4.	दिनांक 01.01.2016 को अध्यापक संवर्ग में की गई कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
5.	आदेश दि.22.08.2017 की कंडिका-2 सहपठित आदेश दि.07.07.17 की कंडिका- 2 (अ) अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
6.	6वें वेतनमान में वेतनमान	9300-34800+3600
7.	दि.01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 22.08.17 के परिशिष्ट- 'ख' की तालिका के कॉलम-1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के सम्मुख)	12840+3600=16440
8.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट-तीन

70

वरिष्ठ अध्यापक (वेतनमान- 9300-34800+3600)

1.	शिक्षाकर्मि वर्ग-1 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	दिनांक 01.01.2016 को कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
4.	आदेश दि.07.07.2017 की कंडिका-2 (अ) के अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
5.	6वें वेतनमान में वेतनमान	9300-34800+3600
6.	दि.01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 07.07.17 के परिशिष्ट - 3 की तालिका के कॉलम-1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के सम्मुख)	12840+3600=16440
7.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

वरिष्ठ अध्यापक (क्रमोन्नत वेतनमान- 9300-34800+4200)

1.	शिक्षाकर्मि वर्ग-1 के पद पर नियुक्ति	01.10.1998
2.	अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर संविलियन	01.04.2007
3.	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमोन्नति का दिनांक	01.10.2010
4.	दिनांक 01.01.2016 को अध्यापक संवर्ग में की गई कुल सेवा अवधि	08 वर्ष 09 माह
5.	आदेश दि.22.08.2017 की कंडिका-2 सहपठित आदेश दि.07.07.17 की कंडिका-2 (अ) अनुसार पूर्ण वर्षों में सेवा अवधि	08 वर्ष
6.	6वें वेतनमान में वेतनमान	9300-34800+4200
7.	दि.01.01.2016 को 6वें वेतनमान में वेतन (आदेश दि. 22.08.17 के परिशिष्ट- 'ग' की तालिका के कॉलम-1 में अंकित सेवा अवधि 08 वर्ष के सम्मुख)	15070+4200=19270
8.	आगामी वेतन वृद्धि दिनांक	01.07.2016

35/2/18

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(56)

(110)

परिशिष्ट-चार

79

संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 का संविलियन सहायक अध्यापक के पद पर होने पर वेतन निर्धारण

1.	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियुक्ति	दिनांक 01.10.2011
2.	सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन	दिनांक 01.10.2014
3.	सहायक अध्यापक पद का वेतनमान	5200-20200+2400
4.	नियुक्ति दिनांक 01.10.2014 से 31.12.2015 तक कुल सेवा अवधि	एक वर्ष दो माह अर्थात् सेवावधि-01 पूर्ण वर्ष
5.	दिनांक 01.01.2016 को वेतन प्रक्रम	7630+2400=10030
6.	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक	01.07.2016

संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 का संविलियन अध्यापक के पद पर होने पर वेतन निर्धारण

1.	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के पद पर नियुक्ति	दिनांक 01.04.2012
2.	अध्यापक के पद पर संविलियन	दिनांक 01.04.2015
3.	अध्यापक पद का वेतनमान	9300-34800+3200
4.	दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में वेतन	9300+3200=12500
5.	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक	01.07.2016

संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 का संविलियन वरिष्ठ अध्यापक के पद पर होने पर वेतन निर्धारण

1.	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 के पद पर नियुक्ति	दिनांक 01.07.2013
2.	वरिष्ठ अध्यापक के पद पर संविलियन	दिनांक 01.07.2016
3.	वरिष्ठ अध्यापक पद का वेतनमान	9300-34800+3600
4.	नियुक्ति दिनांक 01.07.2016 / 31.07.2016 की स्थिति में वेतन	10230+3600=13830
5.	आगामी वेतनवृद्धि का दिनांक	01.07.2017

25/2/16

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
बल्लभ नवन भोपाल

(57) 31

क्रमांक एफ 1-55/09/20-1  
दिनांक

मोडाल दिनांक 13-10-2009

1. सनस्त कलक्टर
2. सनस्त आयुक्त, नगर निगम
3. सनस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला स्थापित / जन्मद पञ्चायत
4. सनस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर निकायत
5. सनस्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, जिला शिक्षा मध्य प्रदेश

विषय-ग्रीन कार्डधारक शिक्षाकर्मियों/अध्यापक संवर्ग को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने बाबत।

-00-

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1 दिनांक 16.6.06 द्वारा ग्रीनकार्ड धारक शिक्षाकर्मियों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में दिनांक 01.04.07 से शिक्षाकर्मियों के संवेदित एवं संवेदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति से अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मियों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए:-

1. शिक्षाकर्मियों/अध्यापक संवर्ग के रूप में कार्यरत रहते हुए परिवार नियोजन के लिये आपरेशन करवाने वाले शिक्षाकर्मियों/अध्यापक संवर्ग को अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता होगी।
2. दिनांक 16.06.2006 के पूर्व परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को दिनांक 16.06.2006 से एवं इस दिनांक के उपरांत परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को परिवार नियोजन कराने के दिनांक से अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त होगा।

शेष निर्देश विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1 दिनांक 16.06.06 में उल्लेखित अनुसार यथावत लागू रहेंगे। वित्त विभाग द्वारा इस विभाग की नस्ती पर उनके यूओ क्रमांक 1863/प.क.प्र./चार, दिनांक 12.10.2009 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

(एसओएनओशामी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

मोडाल दिनांक 13-10-2009

पू0 क्रमांक एफ 1-55/09/20-1

प्रतिवाचक:-

1. निज सहायक, भा. मंत्रीजी, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त/पञ्चायत एवं ग्रामीण विकास / नगरिय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल
4. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल
5. सनस्त संगीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

(10)

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

58

क्रमांक एफ 1-10/2005/20-1

भोपाल, दिनांक: 16/06/2006

प्रति

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
2. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
3. समस्त, आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.।
4. समस्त, मुख्य-नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, म.प्र.।
5. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।

विषय:- ग्रीन कार्ड धारक शिक्षाकर्मियों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

—0—

राज्य शासन द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. सी-3/9/2001/1/3, दिनांक 07.06.2001 के अनुसार शिक्षाकर्मियों का भी स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियां निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत करने की सहमति प्रदान की जाती है :-

1. एक जीवित बच्चे के बाद स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत की जायेगी।
2. दो जीवित बच्चों के बाद स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जायेगी।
3. जो शिक्षाकर्मि आदेश जारी होने के पश्चात् ग्रीन कार्ड प्राप्त करेंगे उन्हें ही अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ देय होगा।

ये निर्देश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे।

2. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्र. 1126/06/नि/चार, दिनांक 07.06.06 द्वारा महालेखाकार को पृष्ठांकित किया गया है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(पुष्पलता सिंह)

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

59

77

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-3350

संक्षेपिका

क्र.	संगठित प्रश्न	उत्तर
1	शिक्षा गारंटी योजना कब प्रारम्भ हुई।	फरवरी 1997 से
2	ई.जी.एस. खोलने का मापदण्ड	प्राथमिक शिक्षा की सुविधा एक किमी. की दायरे में न होने पर एवं 5 से 14 वर्ष के सामान्य क्षेत्र में 40 बच्चे तथा आदिवासी क्षेत्रों में कम से कम 25 बच्चे होने पर ग्राम सभा के मांग पर।
3	गुरुजी के चयन का मापदण्ड	<ul style="list-style-type: none"> <li>• गुरुजी की पहचान वहीं समुदाय करता है। जिसने शाला खोलने की मांग की है।</li> <li>• गुरुजी स्थानीय व्यक्ति होगा। अर्थात् उसी बसाहट का जहाँ शिक्षा गारंटी शाला की मांग की गई है। उस बसाहट में निर्धारित योग्यता का व्यक्ति न होने पर उस ग्राम/ग्राम पंचायत से पहचान की जा सकती है।</li> <li>• गुरुजी के चयन में प्राथमिकता महिला को दी जायेगी। जहाँ एक से अधिक गुरुजी की आवश्यकता है। तबमें से एक अनिवार्य रूप से महिला होगी।</li> <li>• गुरुजी को स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ता माना जायेगा।</li> <li>• गुरुजी की न्युनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी होगी। केवल महिलाओं के लिए न्युनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल तक की छूट दी जायेगी।</li> <li>• डी.एड. तथा बी.एड. उपाधि धारकों को प्राथमिकता दी जायेगी।</li> <li>• ग्राम सभा एवं जिला ई.जी.एस. समिति के अनुमोदन उपरान्त पालक शिक्षक रांध एवं गुरुजी के मध्य अनुबंध पश्चात।</li> </ul>
4	गुरुजी का मानदंड	<ul style="list-style-type: none"> <li>• वर्ष 1997 - रु. 500/- प्रतिमाह</li> <li>• वर्ष 2001 - रु. 1000/- प्रतिमाह</li> <li>• वर्ष 2003 - रु. 2500/- प्रतिमाह (01.07.2001 से पूर्व अनुबंधित)</li> <li>• वर्ष 2003 - रु. 1000 - प्रतिमाह (01.07.2001 के पश्चात अनुबंधित)</li> <li>• वर्ष 2007 - रु. 2500/- प्रतिमाह (प्रौन्नत ई.जी.एस.)</li> <li>• वर्ष 2007 - रु. 1750/- प्रतिमाह (अप्रौन्नत ई.जी.एस.)</li> <li>• वर्ष 2008 - रु. 2500/- प्रतिमाह सभी को।</li> <li>• वर्ष 2012 - रु. 3600/- प्रतिमाह (20.09.12) सभी को।</li> </ul>

60

80

5	शिक्षा गारंटी शाला का प्राथमिक शाला में उन्नयन	वर्ष 2001-02 - 22,659 प्रा.शा. में उन्नयन वर्ष 2004-05 - 3,868 प्रा.शा. में उन्नयन कुल - 26,527 ई.जी.एस. का प्रा. शा. में उन्नयन
6	गुरुजी पात्रता परीक्षा किसके लिए आयोजित की गई।	वर्तमान में कार्यरत गुरुजी/पर्यवेक्षक तथा औप. शिक्षा केन्द्र के तत्कालीन अनुदेशक तथा पर्यवेक्षकों हेतु आयोजित की गई।
7	गुरुजी पात्रता परीक्षा कब-कब आयोजित की गई।	प्रथम परीक्षा 31.08.2008 एवं द्वितीय परीक्षा 27.02.2011 को आयोजित की गई। प्रथम परीक्षा 17.3.11 द्वितीय परीक्षा 22.10.11 को आयोजित की गई।
8	गुरुजी पात्रता परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया।	गुरुजी पात्रता परीक्षा में कुल 41284 अभ्यर्थियों ने भाग लिया।
9	कुल कितने अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।	प्रथम पात्रता परीक्षा 2008 में 14645 एवं द्वितीय पात्रता परीक्षा 2009 (आयोजित 2011) में 13530 उत्तीर्ण हुए।
10	कितने अभ्यर्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए।	13109 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए।
11	गुरुजी पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अर्ह किस नियम के तहत किया गया।	मध्य प्रदेश पंचायत (सविदा शाला शिक्षक नियोजन एवं सविदा की शर्तों) नियम 2005 के नियम 7 (क) के प्रावधान अनुसार किया गया।
12	क्या शासन द्वारा सविदा भर्ती नियम 2005 के संशोधित नियम 7 (क) के तहत कार्यपालिक आदेश जारी किये गये हैं।	म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ-44-56/2007/वीस-2 दिनांक 14.05.10 द्वारा सविदा शाला श्रेणी-3 के पदों पर नियुक्ति हेतु पृथक से आयोजित पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार प्रावधान किया गया है- 1 अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में आरक्षित वर्ग (अनु जाति/अनु जन जाति/अन्य पि.वर्ग तथा नि:शक्त व्यक्तियों सहित) के लिये 30 प्रतिशत एवं अन्य के लिये 40 प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए। 2 क्रमांक 01 के अतिरिक्त शकल रूप से आरक्षित वर्ग (अनु जाति/अनु जन जाति/अन्य पि.वर्ग तथा नि:शक्त व्यक्तियों सहित) के लिये 40 प्रतिशत अंक एवं अन्य के लिये 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होना चाहिये।
13	क्या गुरुजी पात्रता परीक्षा 2009 संशोधित परीक्षा परिणाम हेतु कार्यपालिक आदेश जारी किये गये हैं।	म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ-44/03/2012 दिनांक 24.01.12 द्वारा पूर्व में प्रापित द्वितीय गुरुजी पात्रता परीक्षा का परीक्षा परिणाम को

कुल

36475 अभ्यर्थी  
औप. के 3344  
नियोजित 99304



उपरान्त निम्नलिखित विन्दुओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि प्राचीन मूलक निम्नलिखित की भाँति -

1/3/1

शिक्षा गारंटी शाळा की गुरुजीयों हेतु :-

(1) नियुक्ति आदेश अथवा अनुबंध :- नियुक्ति आदेश या फॉर्म, दिनांक रजिस्ट्रार, शाळा प्रमुख, मजिस्ट्रेट / ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत के साथ दिनांक 01.01.1998 के बाद नियुक्त गुरुजीयों के नाम की पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी को देकर के कारवाही विवरण / बैटल के अन्तर्गत उसके उपरान्त जारी निर्देश / आदेश / स्वीकृति से भी की जाए।

(2) नियुक्ति / अनुबंध दिनांक :- वर्तमान में कार्यरत ऐसे गुरुजी जिनके नियुक्ति आदेश 57-26, 2004 / 20-2 दिनांक 19.7.2005 या पूर्व का प्रमाण हो।

(3) निरन्तरता :- नियुक्ति / अनुबंध की दिनांक से जो कि 19.07.2005 के पूर्व की भी तब वर्तमान तक नियुक्ति मानदेय प्राप्त किया हो, ऐसे गुरुजी जो नवोदय शाळा शिक्षण स्तर-3 में नियोजन व पात्र होंगे। शिक्षा गारंटी शाळाओं में कार्यरत गुरुजी जो वर्तमान में कार्यरत घोषित किए गए हैं कि सेवा निरन्तरता की पुष्टि संबंधित विभागाध्यक्ष / जिला शिक्षा केंद्र द्वारा मानदेय मुफ्तान हेतु स्वीकृत स्वीकृति एवं मानदेय वृत्तपत्र पत्रक से ही की जाए।

(4) न्यायालयीन विवाद :- गुरुजी की नियुक्ति संबंधी बात न्यायालय में प्रचलित होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रखी जाए।

(5) अनुशासनात्मक कार्यवाही :- अनुशासनात्मक कार्यवाही में दखिल होने पर नियुक्ति नष्ट की जाए। इसकी पुष्टि हेतु जिला परियोजना समन्वयक तथा संबंधित जनपद पंचायत / स्थानीय तहसील के मुख्याधिकारी अधिकारी दोनों से तदनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

(6) अन्य परिस्थितियाँ :- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियाँ उदभूत होने पर विशेष स्वरूप मानकर इसका निराकरण राज्य शिक्षा विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार किया जाए।

वि शिक्षा गारंटी शाळा के पर्यवेक्षकों हेतु :-

(1) नियुक्ति आदेश :- नियुक्ति आदेश को शाळा प्रमुख को प्रमाणित करे।

(2) नियुक्ति दिनांक :- शिक्षा गारंटी शाळा के पर्यवेक्षकों के प्रकरण में जिला परियोजना कार्यालय (वर्तमान जिला शिक्षा केंद्र) से अनुमोदन दिया जा चुका था, अतः नियुक्ति की पुष्टि जिला कार्यालय में उपलब्ध प्रति से तथा जनपद समन्वयक के द्वारा जारी नियुक्ति आदेश से की जाएगी। यह किसी भी स्थिति में 31 दिसम्बर 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए।

33  
714  
64

12/12/81

निर्धारित दिनांक से जो कि...  
निर्धारित रूप से मानदेय प्राप्त किया हो...  
नियोजन के पात्र होंगे। पर्यवेक्षक...  
उत्तीर्ण... कि सेवा निरन्तरता की पुष्टि...  
केन्द्र/जिला... मानदेय भुगतान हेतु मासिक उपस्थितिपत्र...  
के सत्यापन... जायें।

(4) न्यायालयीन... पर्यवेक्षक की नियुक्ति संबंधी बात न्यायालय में दर्ज...  
की स्थिति में न्यायालय के निर्णय के अधीन रखी जाए

(5) अनुशासनात्मक कार्यवाही :- अनुशासनात्मक कार्यवाही में दखल होने पर निरन्तरता नहीं दी जाएगी। नतीजा पुष्टि हेतु जिला परियोजना समन्वयक तथा सम्बन्धित प्रशासन/स्थानीय सरकार के मुख्यकार्यपालक अधिकारी दोनों से आवश्यक प्रमाण प्राप्त किया जाए

(6) अन्य परिस्थितियाँ :- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियाँ उदभूत होने पर उचित प्रकरण मानदेय इत्यादि निम्नलिखित राज्य शिक्षा बन्द से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार चलाया जाय

(ii) औपचारिकतार शिक्षा बन्दों के अनुदेशक/पर्यवेक्षकों हेतु :-

(1) नियुक्ति आदेश :- नियुक्ति आदेश की मूल-प्रति से मिलान कर।

(2) नियुक्ति दिनांक :- अनुदेशक व पर्यवेक्षक के प्रकरण में जारी नियुक्ति आदेश के तारीख की स्थिति में 21-12-1929 के बाद की नहीं होना चाहिए।

(3) निरन्तरता :- अनुदेशक लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/पी.ए./आ.नं./2000 के दिनांक 22 जून 2000 तथा स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक/पी.ए./आ.नं./2000 दिनांक 29 अगस्त 2000 के अनुक्रम में औपचारिकतार शिक्षा बन्दों के नियुक्ति की तिथि निम्नलिखित जिलों में निम्न-लिखित होने के कारण औपचारिकतार शिक्षा बन्दों के अनुदेशक तथा पर्यवेक्षकों की सेवा अवधि की निरन्तरता की तिथि का प्रमाण देना है। 2000 को अथवा 23 मार्च से 29 अगस्त, 2000 के मध्य की किसी भी दिनांक के एक वर्ष पूर्व से एक वर्ष के कार्यरत रहा होना मानदेय प्राप्त किया जाय। न्यायालयीन कार्य/पर्यवेक्षक की सेवा का अन्तिम दिनांक 29 अगस्त 2000 को प्राप्ति का निर्धारण किया जाए। चयन परीक्षा में उद्योग विभाग नियुक्ति के अनुदेशक एवं पर्यवेक्षक की सेवा निरन्तरता की प्राप्ति DEO/SEO Office पर सम्बन्धित अनिलेखों तथा कैरड्ड मानदेय भुगतान पत्र/तत्समय की एक प्रतिलिपि के आधार पर मानदेय की पुष्टि के अर्हता होनी चाहिए।

# 1. मुख्य कार्य निम्न

## 2. अंतिम सूची

जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्य कराया जाएगा

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला प्रचारित - अध्यापक
2. कलेक्टर का प्रतिनिधि - सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास / जिला संयोजक आदिवासी कल्याण - सदस्य
5. प्रचारार्थ डाईट - सदस्य
6. जिला प्रभु शिक्षा अधिकारी - सदस्य
7. जिला का ओ.आई.सी. - विशेष आमंत्रित सदस्य
8. जिला परिषद के अध्यक्ष - सदस्य

6. बिन्दु प्रमाणक 5 में उल्लिखित छानबीन समिति विभिन्न समय सारणी अनुसार इस संबंध में उल्लिखित गतिविधियों को समय-समय पर करना करेगी।

क्रमांक	गतिविधि	गतिविधि सम्पन्न करने की समय-सीमा		टिप्पणियाँ
		दिनांक से	दिनांक तक	
1	आवेदन पत्रों की छानबीन	06.06.12	15.06.12	
2	अंतिम सूची तैयार कर जिला स्तर पर प्रेषित करना	15.06.12		
3	अंतिम सूची पर अंतिम आमंत्रित करना	17.06.12	27.06.12	
4	अंतिम सूची का निरीक्षण	28.06.12	07.07.12	
5	कलेक्टर से अंतिम सूची का अनुमोदन प्राप्त करना	08.07.12	09.07.12	अंतिम सूची जारी करने के लिए प्रेषित और आधिकारिक शिक्षा के अनुदेशक/पर्यवेक्षक के प्रमाणपत्रों में शामिल करने के लिए जिला स्तर पर प्रेषित
6	अंतिम सूची जारी करना	10.07.12		

8. छानबीन समिति द्वारा तैयार अंतिम सूची पर सभी सदस्य हस्ताक्षर करवाएँ एवं उनके द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि शक्यता के आधार पर उपरोक्त कठिनाईयों में उल्लिखित बिन्दुओं पर प्रत्येक आवेदन का परीक्षण किया गया है एवं अंतिम सूची शासन के आदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप ही तैयार की गई है। अंतिम सूची भी एक प्रति राज्य शिक्षा अधिकारी को

\_\_\_\_\_

(67) (117) (40)

**मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल  
आदेश**

भोपाल, दिनांक 10.02.2014

क्रमांक एफ-44-6/2014/20-2 : राज्य शासन एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. पंचायत शाला शिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2005 के नियमों में नियम-7 'क' में उपनियम-(3), (4) तथा (5) स्थान पर संशोधन दिनांक 28 दिसम्बर 2013 को अधिसूचना अनुसार निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाए, अर्थात्:-

“(3) ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षक जो वर्तमान में मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी स्कीम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर परीक्षा लिए बिना, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी की सरकार द्वारा अवधारित की जाए, नियोजित किए जा सकेंगे।

(4) ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षकों का, जो मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2005 में विहित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों, ऐसे नियोजन के तीन वर्ष पश्चात् इस शर्त के अधधीन रहते हुए सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन किया जा सकेगा कि उन्हें संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियोजन की तरीख से तीन वर्ष के भीतर डी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा”

मध्यप्रदेश पंचायत शाला शिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2005 के नियमों में नियम-7 'क' में उप नियम-(3), (4) तथा (5) स्थान पर संशोधन दिनांक 28 दिसम्बर 2013 के तहत कार्यवाही की जावे।

2. ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षक जो वर्तमान में मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी स्कीम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर, परीक्षा लिए बिना, नियोजन किये जाने हेतु म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्देश-म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ-44-14/03/2012/20-2 दिनांक 18.05.12 के अनुसार नियोजन की कार्यवाही निम्नानुसार की जावे।

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र:- उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा अथवा समकक्ष न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जांच उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा अथवा समकक्ष न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की अंकसूची की मूलप्रति से करें। डूप्लीकेट अंकसूची/प्रमाण-पत्र होने पर उसकी पुष्टि संबंधित बोर्ड/मण्डल से कराई जाये।

4. आयु:- नियुक्ति हेतु अर्हता रखने वाले गुरुजी एवं पर्यवेक्षक की अधिकतम आयु 62 वर्ष से अधिक न हो। जन्मतिथि के प्रमाण हेतु कक्षा 10वीं/11वीं जो भी बोर्ड परीक्षा रही हो, की मूल अंकसूची मान्य की जाये।

(अ) शिक्षा गारंटी शाला के गुरुजियों हेतु:-

Dum

- (1) नियुक्ति आदेश अथवा अनुबंध:- नियुक्ति आदेश या पालक शिक्षक संघ/शाला प्रबंधन समिति/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के साथ किये गये आदेश/अनुबंध की मूल प्रति से मिलान करें। 01.01.1998 के बाद नियुक्ति गुरुजियों के नाम की पुष्टि जिला ई.जी.एस. समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण/बैठक के आधार पर उसके उपरान्त जारी निर्देश/आदेश/स्वीकृति से भी की जाए।
- (2) नियुक्ति/अनुबंध दिनांक:- वर्तमान में कार्यरत ऐसे गुरुजी जो शासन के पत्र क्रमांक एफ-57-36/2004/20-2 दिनांक 19.07.2005 के पूर्व से नियुक्त हो।
- (3) निरन्तरता:- नियुक्ति/अनुबंध की दिनांक से जो कि 19.07.2005 के पूर्व की हो से वर्तमान तक नियमित मानदेय प्राप्त किया हो, ऐसे गुरुजी ही संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 में नियोजन के पात्र होंगे। शिक्षा गारंटी शालाओं में कार्यरत गुरुजी कि सेवा निरन्तरता की पुष्टि संबंधित विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा मानदेय भुगतान हेतु मासिक उपस्थिति एवं मानदेय के सत्यापन पत्रक से ही की जावे।
- (4) न्यायालयीन विवाद:-गुरुजी की नियुक्ति संबंधी वाद न्यायालय में प्रचलित होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के अधीन रखी जाए।
- (5) अनुशासनात्मक कार्यवाही:-अनुशासनात्मक कार्यवाही में दण्डित होने पर नियुक्ति नहीं की जाए। इसकी पुष्टि हेतु जिला परियोजना समन्वयक तथा संबंधित जनपद पंचायत/स्थानीय निकाय के मुख्यकार्यपालन अधिकारी दोनों से तदनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
- (6) अन्य परिस्थितियाँ:-उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियाँ उदभूत होने पर विशेष प्रकरण मानकर इसका निराकरण राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार किया जाए।

ब. शिक्षा गारंटी शाला के पर्यवेक्षकों हेतु:-

- (1) नियुक्ति आदेश:-नियुक्ति आदेश की मूल प्रति से मिलान करें।
- (2) नियुक्ति दिनांक:-शिक्षा गारंटी शाला के पर्यवेक्षक के प्रकरण में जिला परियोजना कार्यालय (वर्तमान जिला शिक्षा केन्द्र) से अनुमोदन दिया जाता था, अतः नियुक्ति की पुष्टि जिला कार्यालय में उपलब्ध प्रति से तथा जनपद पंचायत के द्वारा जारी नियुक्ति आदेश से की जायेगी। यह किसी भी स्थिति में 31 दिसम्बर 2000 के बाद की नहीं होनी चाहिए।
- (3) निरन्तरता:-नियुक्ति/अनुबंध की दिनांक से जो कि 31 दिसम्बर 2000 के पूर्व की हो, वर्तमान तक नियमित रूप से मानदेय प्राप्त किया हो, ऐसे पर्यवेक्षक ही संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 में नियोजन के पात्र होंगे। पर्यवेक्षक की सेवा निरन्तरता की पुष्टि

संबंधित विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा मानदेय भुगतान हेतु मासिक उपस्थिति एवं मानदेय भुगतान के सत्यापन पत्रक से की जावे।

- (5.) न्यायालयीन विवाद:-पर्यवेक्षक की नियुक्ति संबंधी वाद न्यायालय में प्रचलित होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रखी जाये।
- (6.) अनुशासनात्मक कार्यवाही:-अनुशासनात्मक कार्यवाही में दण्डित होने पर नियुक्ति नहीं की जाए। इसकी पुष्टि हेतु जिला परियोजना समन्वयक तथा संबंधित जनपद पंचायत/स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दोनों से तदानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
- (6.) अन्य परिस्थितियाँ:-उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियाँ उद्भूत होने पर विशेष प्रकरण मानकर इसका निराकरण राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार किया जाए।

#### 5. जिला स्तरीय छानबीन समिति:-

उक्त कार्य को संपादित करने के लिए जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति कार्य करेगी-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - अध्यक्ष
  2. कलेक्टर का प्रतिनिधि - सदस्य
  3. जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य
  4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/  
जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण - सदस्य
  5. प्राचार्य डाइट - सदस्य
  6. जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी - सदस्य
  7. जिले का ओ.आई.सी. - विशेष आमंत्रित सदस्य
  8. जिला परियोजना समन्वयक - सदस्य सचिव
6. बिन्दु क्रमांक-3 में उल्लेखित छानबीन समिति द्वारा तैयार अनंतिम सूची तैयार कर सूचना पटल पर चर्या करना एवं अनंतिम सूची पर आपत्तियाँ आमंत्रित करना, तथा आपत्तियों का निराकरण किया जावेगा। कलेक्टर से अंतिम सूची पर अनुमोदन प्राप्त कर अंतिम सूची जारी की जाये।
7. जिला छानबीन समिति द्वारा तैयार अंतिम सूची पर सभी सदस्य हस्ताक्षर करेंगे एवं उनके द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि "शासन आदेश की उपरोक्त कण्डिकाओं में उल्लेखित बिन्दुओं पर प्रत्येक गुरुजी एवं पर्यवेक्षक का परीक्षण किया गया है, एवं अंतिम सूची शासन के मापदण्डों एवं निर्देशों के अनुरूप ही तैयार की गई है।" अंतिम सूची की एक प्रति राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराई जाये। इस सूची पर जिला कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये। अनुमोदन उपरान्त अंतिम घयन सूची संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को विहित

4

प्रक्रिया एवं निर्देशानुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियोजन हेतु उपलब्ध कराई जाये, जिसकी प्रति शासन को भी पृष्ठांकित की जाये।

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के रूप में नियोजित होने के उपरान्त शिक्षा गारंटी शाला कार्यरत गुरुजी व पर्यवेक्षक को शासन द्वारा निर्धारित संविदा पारिश्रमिक राशि का भुगतान निश्चित दिनांक से किया जायेगा।

प्राथमिक शालाओं (पूर्व की शिक्षा गारंटी शालाएं) में वर्तमान में कार्यरत गुरुजी ए पर्यवेक्षक के संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के रूप में नियोजन संबंधी कार्यवाही उपरोक्तानुसार की जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभावशाली होगा।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.के.द्विवेदी)

उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
भोपाल, दिनांक 10.02.2014

क्रमांक एफ-44-6/2014/20-2  
तिलिपि-

1. सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल।
8. आयुक्त, आदिवासी विकास, भोपाल।
9. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
14. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
15. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
16. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल


आदेशः

भोपाल, दिनांक 9/12/14

क्रमांक एफ 44-6/2014/20-2: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10.2.2014 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार अनुपूरक निर्देश जारी करता है:-

1. ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षक जो म.प्र. शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत थे, को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के रूप में नियोजित होने की तिथि से शासन द्वारा निर्धारित संविदा पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जायेगा।
2. अध्यापक संवर्ग में संविलियन किये जाने हेतु आवश्यक सेवाकाल की गणना विभागीय आदेश जारी दिनांक 10.2.14 से की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(कलावती उड़के)  
अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 9/12/14

पृ० क्रमांक एफ 44-6/2014/20-2  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
  2. निज सचिव, मान. मंत्री/राज्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
  3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
  4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
  5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल
  6. आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिवासी विकास विभाग भोपाल
  7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
  8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश
  9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
  10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश
  11. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. आर्डर बुक

  
अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

राकेश मुले:

(72) (128)

**मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004**

भोपाल, दिनांक 27/09/2018

आदेश :-

एफ 1-3/2017/20-1 विभागीय आदेश क्रमांक 44-6/2014/20-2 दिनांक 10.02.2014, ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षक जो तत्समय मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत थे, को संविदा शाला शिक्षक 3 के पद पर परीक्षा लिए बिना नियोजित करने के संबंध में जारी किया गया। उक्त आदेश में यह भी त्ख किया गया था कि उनके नियोजन की कार्यवाही विभागीय आदेश दिनांक 18.05.2012 के अनुसार किस प्रकार की जाए।

2/ विभागीय आदेश क्रमांक 44-6/2014/20-2 दिनांक 09.12.2014 समस्त गुरुजी एवं पर्यवेक्षकों को अध्यापक सवर्ग में संविलियन किए जाने हेतु आवश्यक सेवा का काल की गणना विभागीय आदेश जारी करने के दिनांक अर्थात् 10.02.2014 से की जाएगी।

3/ उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश क्रमांक एफ 44-14/2012/20-2 दिनांक 18.05.2012 अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण गुरुजी एवं पर्यवेक्षकों के संबंध में है, जबकि विभागीय आदेश क्रमांक 44-6/2014/20-2 दिनांक 10.02.2014 अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले गुरुजी एवं पर्यवेक्षकों के संबंध में है।

4/ इस संबंध में पुनः स्थिति स्पष्ट की जाती है कि अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले गुरुजी एवं पर्यवेक्षकों की परिष्ठता किसी भी स्थिति में दिनांक 10.02.2014 से पूर्व की तिथि से प्रदान नहीं की जा सकती जैसाकि विभागीय आदेश दिनांक 09.12.2014 द्वारा आदेशित किया गया है। अतः अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले गुरुजियों एवं पर्यवेक्षकों की ठरीष्ठता विभागीय आदेश दिनांक 09.12.2014 द्वारा आदेशित अनुसार दिनांक 10.02.2014 से मान्य की जावे।

उपयुक्तानुसार स्पष्टीकरण से भिन्न स्थिति मान्य करते हुए यदि किन्हीं अधीनस्थ कार्यालय द्वारा किन्हीं अभ्यर्थियों को अन्यथा लाभ दे दिया गया है तो ऐसे आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। इस संबंध में कार्यवाही न करने की स्थिति में संबंधित वृत्तिकर्ता अधिकारी की जबाबदारी नियत की जाकर उनसे आवश्यक वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(के.के. द्विवेदी)

उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
भोपाल, दिनांक 27/09/2018

पू.क्र. एफ 1-3/2017/20-1  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान. मंत्री/राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र., भोपाल। कि
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/विधि प्रकोष्ठ, लोक शिक्षण, म.प्र।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र।
6. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, म.प्र।
7. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आर्डर बुक।

उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

b.50/167  
27-9-18

B

27/9/18

DDCS.16

AS

27-09-18